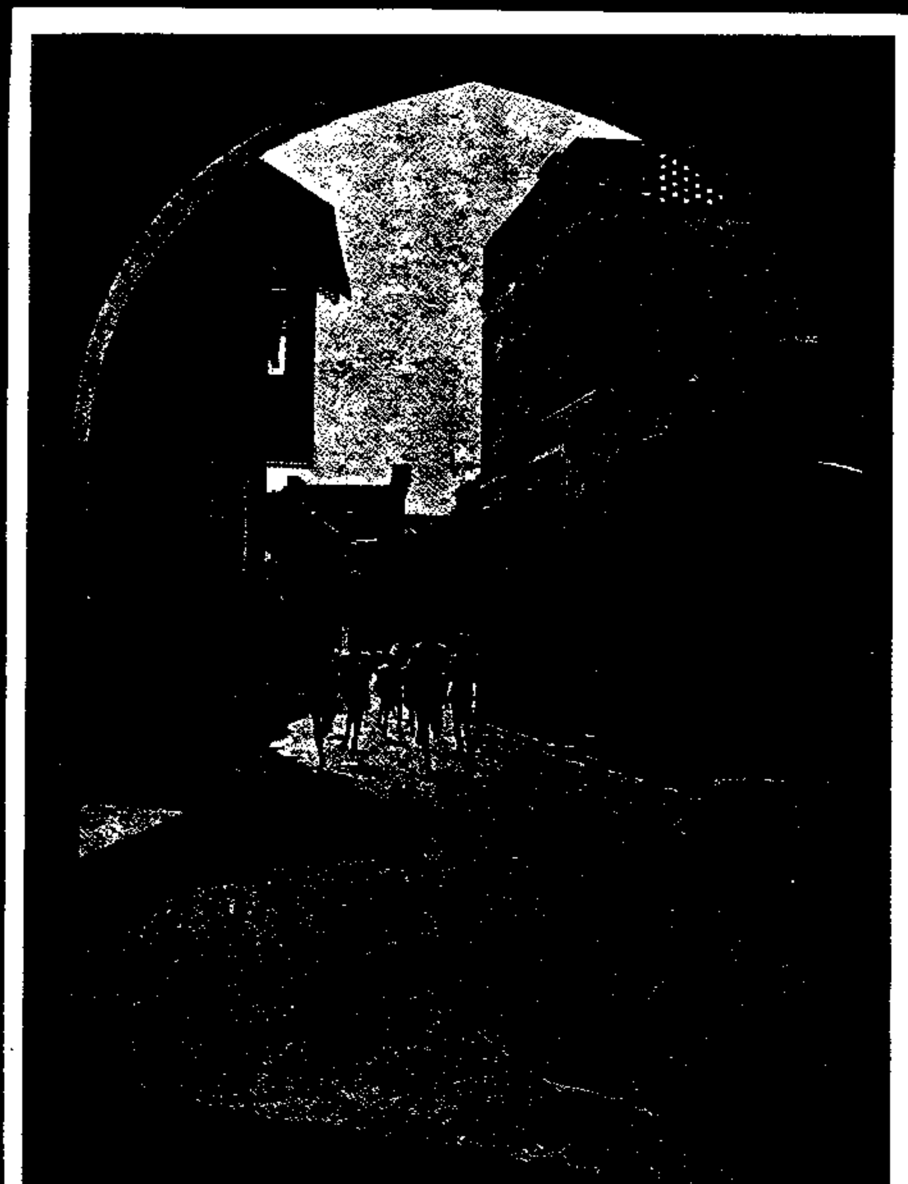

मशोबरा के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण-कार्य

कुरुक्षेत्र

सामुदायिक योजना प्रशासन का मासिक मुखपत्र

वर्ष १] जनवरी १९५६ [अंक ३

विषय-सूची

उज्ज्वल भविष्य की ओर !		आवरण चित्र
बुद्धूराम की चातुरी ! [व्यंग्य-चित्र]	संमुग्रस	२
नपिन्ना [कहानी]	चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	३
नए समाज की रूप-रेखा	विनोबा भावे	६
बच्चों का भोजन और स्वास्थ्य	सावित्रीदेवी वर्मा	११
खेतिहर मज़दूरों की स्थिति	...	१३
सामुदायिक योजनाओं में शिक्षा की प्रगति [चित्रावली]	...	१५–१८
आज का यह बीज [कविता]	प्रयागनारायण त्रिपाठी	१९
विकास की कहानियाँ	...	२०
विस्तार कार्य का नेतृत्व	अमरीकसिंह चीमा	२२
हमारे सम्मानित अतिथि [चित्रावली]	...	२४
लोहड़ी: पंजाब का लोकप्रिय त्यौहार	प्राणनाथ सेठ	२६
दक्षिण कनारा में विकास की प्रगति	...	२९
प्रगति के पथ पर	...	३०
समाचार-समीक्षा	...	३२

सम्पादक :

केशवगोपाल निगम

[सहकारी सम्पादक, प्रकाशन विभाग]

उप-सम्पादक : *मनोहर जुनेजा*

मुख्य कार्यालय
ओल्ड सेक्रेटेरिएट,
दिल्ली—८

वार्षिक चन्दा २॥)
एक प्रति का मूल्य ।)

विज्ञापन और एजेन्सी के लिए
बिजनेस मैनेजर, पब्लिकेशन्स डिवीजन
दिल्ली—८ को लिखें

बुद्धूराम की चातुरी!

आपके लिए यह बढ़िया, नसल का मुर्गा लाया हूँ
कोई अफ़सर गाँव का दौरा करने आ रहा है, हम उनकी क्या ख़ातिर करें!
इस सब की क्या ज़रूरत थी! मैं तो केवल उस मुर्गे को देखने आया था!
यह आपके सामने मौजूद तो हैं!
Samuel

न पि न्ना

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

कावेरी नदी के तट पर बसे एक गाँव में सुब्रह्मन्य स्वामी[1] का एक मन्दिर है। मन्दिर में एक पावन वृक्ष है और अन्य मन्दिरों की तरह एक चबूतरा है।

लगभग तीस वर्ष पूर्व मैं किसी काम से वहाँ गया था। जहाँ तक मुझे याद है, लोगों में दारू-बन्दी का प्रचार करने और खादी बेचने के लिए ही मेरा उधर जाना हुआ था।

मेरे साथ ज़मींदार रत्न सभापति गौंडर था। मन्दिर पहुँचने पर उसने मुझ से पूछा—"क्या आप एक दिलचस्प चीज़ देखना पसन्द करेंगे?"

मैं उस चीज़ को देखने के लिए उत्सुक था कि उसने अपनी लकड़ी को बड़े ज़ोर से ज़मीन पर पटका। पास ही एक बूढ़ा कुत्ता ऊँघ रहा था। वह एकदम डर गया। अचानक वहाँ एक मुर्गा आ खड़ा हुआ और गौंडर की तरफ़ क्रोध से देखने लगा, मानों उसे ललकार रहा हो। वह लड़ने-मरने को तैयार था। गौंडर के अपनी लकड़ी एक ओर पटकते ही वह मुर्गा चुपचाप अपनी जगह जाकर कीड़े चुगने लगा। मैंने यह सब फिर किया मानों मैं कुत्ते को चोट पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे ऐसा करते ही मुर्गा एक दम उछल कर अपने मित्र की रक्षा के लिए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और मेरी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखने लगा।

मैं अनायास ही बोल उठा— "यह सचमुच ही असाधारण बात है।"

गौंडर ने कहा—"दोनों बिलकुल भिन्न जाति के हैं परन्तु एक दूसरे से कितना स्नेह करते हैं।"

यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है; मेरा अपना अनुभव है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मुर्गे को यह सब किसी सरकस के आदमी ने नहीं सिखाया था। दोनों में अपने आप ही मित्रता बढ़ गई थी।

× × ×

बीमार रामानुज आयंगर अपने बिस्तर पर पड़ा-पड़ा धीमी आवाज़ में पुकार उठा—"नप्पू...नप्पू!"

"आई बापू! मैं यहाँ हूँ", ज़ीने पर चढ़ती हुई नपिन्ना[2] ने उत्तर दिया। पिता के पास पहुँच कर उसने पूछा—"क्या चाहिए बापू?"

"यह कौन गा रहा है? नीचे कौन आए हैं? कोई कितने मधुर स्वर में गा रहा है! नप्पू, यह कौन है?" बीमार आयंगर ने पूछा।

"नीचे कोई नहीं है बापू, और न ही कोई गा रहा है। क्या तुम थोड़ी देर भी नहीं सोए?"

"नहीं नप्पू, मैं बिलकुल नहीं सो सका। क्या साथ वाले घर से यह रेडियो की आवाज़ आ रही है?" बीमार आयंगर ने फिर पूछा।

"नहीं अच्छे बापू, कोई नहीं गा रहा और न ही रेडियो बज रहा है। कुछ देर तो सो जाओ, कितना अच्छा होता अगर तुम थोड़ी देर के लिए सो जाते," नपिन्ना ने कहा।

"नहीं, नहीं नप्पू! आवाज़ आ रही है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देती? तुम्हारी माँ वही गाना गा रही है जो उसे बेहद पसन्द था। तू अपनी माँ की आवाज़ भी नहीं पहचान सकती?" रामानुज आयंगर ने कहा।

उसकी आवाज़ धीरे-धीरे धीमी होती गई और उसने अपनी आँखें बन्द कर लीं। नपिन्ना हल्के-हल्के अपने पिता के पाँव दबाने लगी ताकि उसे नींद आ जाए।

पाँच वर्ष पूर्व रामानुज आयंगर की पत्नी सल्लम का देहान्त हो गया था। मरते समय वह अपनी एकमात्र सन्तान नपिन्ना को पति की देख-रेख में छोड़ गई थी। नपिन्ना का विवाह अपने मामा रामू से हुआ। दक्षिण में ऐसे विवाह अकसर होते हैं और काफ़ी समय से इनका रिवाज भी चला आ रहा है। अगर रीति-रिवाज ऐसे सम्बन्धों की इजाज़त दे दें तो फिर रिश्तेदारों के दबाव से बचना लगभग असम्भव ही होता है। माता के देहान्त के समय नपिन्ना की उम्र पन्द्रह वर्ष थी। वह विवाह के पश्चात् अपने पति के साथ नहीं रही क्योंकि उसके पिता और पति में कुछ गलतफ़हमी पैदा हो गई जो कुछ समय बाद शत्रुता में बदल गई। रामानुज ने रामू से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया और यह भी घोषित कर दिया कि रामू–नपिन्ना का सम्बन्ध समाप्त हो गया है।

१. सुब्रह्मन्य भगवान् शिव के सुपुत्र कुमार का दूसरा नाम है।

२. तमिल देश में राधा का दूसरा नाम।

गौंडर के लकड़ी पटकते ही मुर्गा लड़ने को तैयार हो गया

रामू अभी छोटा ही था कि उसके पिता का असमय देहान्त हो गया था। रामू के पिता के मरने के बाद रामानुज आयंगर ही रामू के खेतों और व्यापार की देख-रेख किया करता था। रामू के कुछ सम्बन्धियों ने उसको रामानुज के विरुद्ध भड़काना शुरू किया और उसके दिल में यह बात बैठा दी कि रामानुज ने उसके साथ धोखा किया है और उसके खेतों की कमाई से अपने कर्ज़ चुका दिए हैं। रामू ने इन सब बातों पर विश्वास कर लिया और अपने मित्रों और रिश्तेदारों में इनकी काफी चर्चा भी की। रामानुज आयंगर, जो धोखेबाज़ी से कोसों दूर था इन सब बातों को सुनकर अत्यन्त दुखी हुआ और उसने रामू को अपना दामाद न बनाने का फैसला कर लिया। उसने नपिन्ना को स्कूल में भर्ती करवा दिया। पढ़-लिख कर नपिन्ना अध्यापिका बन गई और वह अपने पाँव पर खड़ी हो गई। वह अपने पति के साथ नहीं गई और अपने बूढ़े पिता की लाठी बनी रही।

× × ×

पाँच मिनट सोने का प्रयास करने के पश्चात् उसने फिर आँखें खोल लीं और बोला — "नप्पू ! तुम्हारी माँ ही गा रही है, इसमें कोई सन्देह नहीं। क्या तुम्हें उसका राम भजन सुनाई नहीं देता ? भगवान जाने तुम्हारे कान क्यों नहीं सुन पाते ? वह मुझे साथ ले जाने के लिए आई है। मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। नप्पू, अब खेल खत्म हो रहा है, तुम अपनी नौकरी का ख्याल रखना। मेरी बच्ची, भगवान् तुम्हारी रक्षा करें। डरना मत, प्रभु तुम्हारा बाल भी बाँका नहीं होने देंगे।"

"अप्पा ! मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। ऐसी बातें मत करो। तुम्हें अब ज्वर नहीं है और शरीर भी ठंडा है। कुछ देर सो जाओ तो तबीयत ठीक हो जाए।"

परन्तु रामानुज पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वह बड़बड़ाया— "रुल्लम, मैं आ रहा हूँ, मैं तैयार हूँ।" यह कह कर उसने अपनी आँखें बंद कर लीं और खामोश हो गया।

"स्वप्न में संगीत सुनना तो अच्छा लक्षण होता है। लोग तो ऐसा ही कहते हैं, बापू ! मृत्यु की बातें मत करो, स्वप्न-संगीत तो अच्छे होने का लक्षण है। अब तुम बिलकुल ठीक हो जाओगे; अब तो मुझे भी यह संगीत सुनाई दे रहा है," कहते-कहते नपिन्ना की आँखों से आँसू टपकने लगे।

रामानुज आयंगर को कुछ देर के लिए नींद आ गई। नपिन्ना एक कोने में रो-रो कर अपने दिल का बोझ हल्का करती रही और थोड़ी देर बाद अपने आँसू पोंछ कर पिता के पास आ बैठी और उसकी ओर देखती रही।

× × ×

अगले दिन सुबह दस बजे की बात है।

"अप्पा ! मामा आ रहे हैं, वह चिल्लाते हुए ज़ीने के ऊपर चढ़ रहे हैं। मैं समझ नहीं सकी वह क्यों आ रहे हैं ?" नपिन्ना ने रामानुज आयंगर से कहा।

'मामा' से मतलब रामू से था।

"मुझ पर दया करो अतिम्बेर[3], इंकार न करना। मैं बड़ा पापी हूँ और जब तक तुम मुझे क्षमा न करोगे, मुझे चैन नहीं मिलेगा," रामू चिल्लाते-चिल्लाते रामानुज के सामने धरती पर लेट गया। रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा—"एक बार मेरी ओर देखो और कह दो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया।"

"रामू," रामानुज आयंगर ने धीमे स्वर में कहना आरम्भ किया—"तुम पर दया करने वाला मैं कौन हूँ ? करने वाला भगवान है और अच्छा बुरा सब उसकी मर्ज़ी से होता है। जब तुमने मेरे सम्बन्ध में झूठी बातें फैलाईं, तो भी भगवान् मुझे दुखी करना चाहता था। यह सब तो मेरे पिछले जन्म के पापों का फल था। भगवान् से क्षमा माँगो रामू, वह सब को क्षमा कर देता है।"

"अतिम्बेर, मुझे कल ही सत्य का पता चला और मुझे अनुभव हुआ कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। इस पाप को धोने का कोई तरीका नहीं, सिवाए

---

३. 'अतिम्बेर' का अर्थ है बड़ी बहन का पति।

४ 'अक्का' का अर्थ है बड़ी बहन।

५. तिरुपति मन्दिर में निवास करने वाले देवता।

इसके कि तुम्हारे चरणों में पड़कर तुमसे क्षमा मांगूँ। कल रात मुझे स्वप्न में अक्का* के साथ भगवान् वेंकटेश* के दर्शन हुए। उन्होंने स्वयं मुझे तुम से क्षमा माँगने का आदेश दिया और तभी मैं आज यहाँ आया हूँ। इस चण्डाल को क्षमा करके उद्धार लो।"

"मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम्हें अपनी गल्ती का आभास हुआ और पश्चाताप हुआ, उसी क्षण भगवान् ने तुमको क्षमा कर दिया। भगवान् तुम्हें चिरायु करे और तुम्हारा जीवन सुखमय हो। मेरा समय आ चुका है, क्रोध और घृणा के लिए अब स्थान ही नहीं है, इन सबसे अब मैं परे हूँ। तुम नप्पू की देखभाल करना, भगवान् तुम्हें खुश रखे।"

"अतिम्बेर, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं कितना पागल था कि मैंने दूसरा विवाह कर लिया। मैं अब क्या करूँ? मैं नप्पू से सौत के साथ रहने के लिए किस प्रकार कह सकता हूँ? हे भगवान्! मेरी आत्मा भ्रष्ट हो चुकी है," रामू ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा।

"मामा!" नप्पू कुछ और न कह सकी और खामोश हो गई। रामू स्त्रियों की तरह रो रहा था। नप्पू से उसके पिता ने पूछा—"तुम क्या कहना चाहती थीं?"

"वह सौत आदि के बारे में बात-चीत कर रहे थे, मैं इसी सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती थी। फिर मैं स्वयं सोचने लगी कि मेरे इतने भाग्य कहाँ, फिर मैं क्यों बोलूँ और इसी लिए चुप हो गई," नप्पू ने फ़र्श की तरफ़ देखते हुए कहा।

रामू ने फिर चिल्लाना शुरू किया—"नप्पू, मैंने कितनी बेवकूफ़ी की है। देवकी जल्दी ही मां भी बननेवाली है।"

"तो क्या हुआ। वह बच्चा मेरा भी बच्चा होगा और मेरा बच्चा बनकर पलेगा," नपिन्ना ने कहा।

यह सुनकर रामानुज आयंगर अचानक उठ बैठा और बोला—"बच्चा!" उसकी आवाज़ में इतना बल न जाने कहाँ से आ गया—"हमारा धर्म और हमारे ग्रन्थ सब व्यर्थ नहीं गए, मेरी बेटी नप्पू! तुम मेरी सर्वस्व हो। जैसा तुम्हारा नाम है तुम वैसी ही हो। तुमने दिखा दिया कि जैसा सुन्दर तुम्हारा नाम है, वैसे ही सुन्दर तुम्हारे विचार भी हैं। रामू, तुम आज ही नप्पू को अपने घर ले जाओ, वह तुम्हारी पत्नी है। भगवान् तुम दोनों का कल्याण करे। उसकी कृपा सदा तुम पर बनी रहे। वह कितना दयालु है कि मृत्यु से पूर्व यह सुख मुझे दिखा दिया। कल रात का संगीत शायद इसी सुखद घटना के लिए था। नप्पू, मुझे अब कोई दुख नहीं है। ओह! कितना प्रसन्न हूँ मैं। जब मैं दुखी था, तो भगवान् को दोष क्यों देता था। शायद यही सुखद दिन दिखाने के लिए भगवान् ने यह खेल खेला है। सूर्य निकलने पर जिस प्रकार कुहरा उड़ जाता है, उसी प्रकार मेरे सब दुख खत्म हो गए हैं।" वह बोलते-बोलते थक गया और फिर अपने बिस्तर पर लेट गया। नप्पू ने उसकी आँखें पोंछीं और जाकर एक कोने में जा बैठी।

इस सुखद घटना के कारण ही, अगले दिन जब रामानुज आयंगर इस असार संसार से चल बसा, तो भी उसके मुख पर मुस्कान खेल रही थी।

× ×

रामू और उसकी दोनों पत्नियाँ आनन्द पूर्वक रहने लगीं। देवकी का बेटा अब लगभग दो वर्ष का हो गया था। सबको इस बात की प्रसन्नता थी कि उनके आनन्दमय पारिवारिक जीवन में कोई विघ्न नहीं पड़ा।

घर आनेवाले लोग पूछते—"बहन! यह बच्चा किसका है?" इस प्रश्न के उत्तर में नप्पू केवल मुस्करा देती और देवकी लाज से अपना मुख नीचे कर लेती।

"कन्नू, तुम्हारी माँ कौन-सी है?" कोई बच्चे से पूछता—और लोगों को यह प्रश्न पूछने में मज़ा भी आता था। इस प्रश्न के उत्तर में लड़का दौड़ कर नप्पू की गोद में जा बैठता। नपिन्ना को वह 'माँ' और देवकी को 'छोटी माँ' (माँ की छोटी बहन) कहता था।

भली स्त्रियाँ कहा करतीं—"कितनी असाधारण बात है। शायद ही कहीं और एक पति की दो पत्नियाँ इतने मेल से रहती हों।"

अन्य स्त्रियाँ (भगवान् उन्हें क्षमा करे) एक दूसरे से कहा करतीं—"यह सब तो एक दिखावा है। कुछ साल ठहर जाओ, फिर देखना। यह दोनों लड़े बिना नहीं रह सकतीं।"

परन्तु कई वर्ष बीत गए और उनमें झगड़ा नहीं हुआ। रामू की गृहस्थी की गाड़ी हँसी-खुशी चलती रही। यह सब हमारी पावन भूमि पर ही हो सकता—

[शेष पृष्ठ १२ पर]

जो कोई भी बच्चे से पूछता कि तुम्हारी माँ कौन सी है, तो वह दौड़ कर नप्पू के पास चला जाता

नए समाज की रूप-रेखा

विनोबा भावे

ग्रामदान समुद्र के समान है । जिस तरह समुद्र में सब नदियाँ लीन हो जाती हैं, वैसे हरेक की मालकियत ग्रामदान में लीन हो जाती है । इस काम के लिए जब छोटे-छोटे गाँवों के लोग भी तैयार हो रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि काल का एक प्रवाह बह रहा है, जो सब को स्पर्श कर रहा है । परस्पर-सहयोग का महत्व जितना इस आन्दोलन के समय लोगों के ध्यान में आ रहा है, उतना इसके पहले कभी नहीं आया था, क्योंकि व्यक्तिगत मालकियत समाज में लीन कर देने से बढ़कर और परस्पर-सहयोग क्या हो सकता है ? इसलिए इस आन्दोलन के ज़रिये न सिर्फ़ भूमि के मसले के लिए राह खुल जाती है बल्कि सब तरह की सामूहिक साधना की भी तैयारी हो जाती है । और वह एक ऐसे ढंग से होती है कि उसमें समूह के साथ व्यक्ति का कोई विरोध नहीं पैदा होता है, बल्कि सारे व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने स्वार्थ को समूह में विलीन कर देते हैं । इसलिए 'समूह-विरुद्ध-व्यक्तिगत' का जो झगड़ा पाश्चात्य समाज-शास्त्रज्ञों ने और नीति-शास्त्रज्ञों ने पैदा किया था, वह इसमें रहता ही नहीं । ये लोग जो ग्रामदान दे रहे हैं, वे एक नया नीतिशास्त्र और नया समाजशास्त्र रच रहे हैं, ये लोग स्वार्थ और परमार्थ का भी भेद मिटा रहे हैं, जैसे व्यक्ति और समाज के हित में विरोध नहीं है, वैसे ही स्वार्थ और परमार्थ के बीच कोई विरोध नहीं है ।

इस तरह से इस आन्दोलन में जिन शक्तियों का निर्माण हो रहा है, वे इतनी व्यापक हैं कि उनके लिए हम चाहे जितनी कोशिश करते हों, वह कम ही मालूम होगी । इस आन्दोलन में काम करने वाला व्यक्ति देश-सेवा का दावा कर सकता है, परमार्थ का दावा कर सकता है और समाज-सेवा का दावा तो कर ही सकता है । 'समाज-सेवा' शब्द का प्रयोग मैंने मामूली अर्थ में नहीं किया है । वैसे समाज-सेवा तो देश-सेवा में आ जाती है । लेकिन हम कहना चाहते हैं कि समाज-रचना बदलनेवाली क्रान्ति की ही बात ग्रामदान के काम में आती है । इस तरह देश का आर्थिक जीवन उन्नत करना, सामाजिक रचना में क्रान्ति लाना और पारमार्थिक उन्नति करना, ये सारे कार्य ग्रामदान के ज़रिये देहात-देहात में चल रहे हैं । इसलिए कार्यकर्त्ताओं को ऐसा अद्भुत मौका मिल रहा है कि उनके लिए इससे बढ़कर उत्साहदायी आमंत्रण कोई हो नहीं सकता ।

अक्सर हम गाँव-गाँव के लोगों के पास जाकर पूछते हैं कि आपकी क्या राय है ? तो वे आवाज़ देते हैं कि शिक्षा और पानी का इन्तज़ाम होना चाहिए । लेकिन एक दफ़ा हमने ग्रामदान में मिले हुए एक गाँव के लोगों से वही सवाल पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब हम एक हो गए हैं, इसलिए हमें कोई कमी ही नहीं रहेगी । हम एक-दूसरे की मदद करेंगे, तो सब चीज़ें हासिल कर सकेंगे । यह जवाब सुनकर मैं चकित रह गया । मुझे लगा कि अब इन लोगों को समझाने के लिए मेरे पास अधिक कुछ शेष नहीं रहा है । इन छोटे-छोटे गाँवों को बाहर से कोई मदद नहीं मिलती है, इसलिए भी वे समझ लेते हैं कि गाँव एक बनता है, तो अन्दर से एक ताकत बनती है । इन सब गाँवों को यह अनुभव होता है कि उनकी शक्ति अन्दर से बढ़नी चाहिए । अपनी शक्ति बढ़ाने की इच्छा अन्दर से जाग जाती है, तो मनुष्य की आत्मा एकदम सावधान हो जाती है और भूदान-यज्ञ का संदेश सुनकर लोगों को यह लग रहा है कि यह एक ऐसा साधन है कि जिससे हम परावलम्बी नहीं रहेंगे, अपने बल से काम करेंगे । इसलिए वे लोग अत्यन्त उत्साह से यहाँ आते हैं और हमारा सन्देश प्रेम से सुनते हैं । हम उनको यह भी सुनाते हैं कि इस तरह से आप अपने गाँव को सर्वोदय की दृष्टि से संगठित करेंगे, तो आपको बाहर से भी मदद मिल सकती है । लेकिन इस बारे में हम बहुत एहतियात से काम करते हैं । हम उन्हें यह भास नहीं होने देते हैं कि उनके अन्दर जो शक्ति है, उससे बढ़कर कोई दूसरी शक्ति उन्हें मदद करने वाली है । यह शास्त्र का वचन है कि जो खुद की मदद करते हैं, उनकी भगवान् मदद करता है । लेकिन ये लोग अपनी अन्दर की ताकत बढ़ाएँगे, तो उसके साथ उन्हें कुछ बाहर की मदद भी मिलनी चाहिए, वह मिलेगी भी, लेकिन जो लोग सिर्फ़ बाहर की ताकत पर विश्वास रखते हैं, उनकी अन्दर की ताकत तो बढ़ती ही नहीं, लेकिन बाहर की ताकत भी जितनी चाहिए, उतनी नहीं मिलती ।

"अंग्रेज़, फ्रेंच, जर्मन, आदि सबने जो राज बनाया है, वह सारा स्वार्थ के ऊपर खड़ा है। वहाँ पर हरेक का व्यक्तिगत अधिकार इतना बढ़ा दिया है कि फिर एक समाजवाद निर्माण हुआ है, जो उस व्यक्तिवाद के विरुद्ध खड़ा हो गया है। अब उन दोनों के बीच टक्कर शुरू हुई है। पर जब ये लोग (अमेरिकन-जर्मन सहयात्री) देखते हैं कि सर्वोदय में व्यक्तिवाद और समाजवाद, दोनों लीन होते हैं, तो उन्हें कुतूहल होता है कि यह काम कैसे चल रहा है, ज़रा देखें।"

—विनोबा भावे

हम इन गाँववालों को समझाते हैं कि आप लोग 'मैं-मेरा' 'तू-तेरा' छोड़ दें तथा 'हम और हमारा' शुरू करें। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी जाति क्या है, तो कह देना कि 'हम जाति-पांति नहीं मानते हैं। हम इस गाँव के रहनेवाले हैं।' ये सब जातियाँ जिस ज़माने में बनी थीं, उस ज़माने में उनका काम था, लेकिन आज काम नहीं है। जाति का मतलब इतना ही है कि कोई बढ़ई का काम करता था, तो उसका लड़का भी बढ़ई का काम आसानी से सीखता था और उसे तालीम के लिए किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज तो गाँव-गाँव के सब धंधे टूट ही गए हैं, इसलिए उसके साथ जातियाँ भी टूट गई हैं। धंधे टूटने के बाद भी अगर कोई जाति का नाम लेता है, तो वह एक प्रकार से बेकार ही है। इसके आगे लोगों को हम धंधा देना चाहते हैं, परन्तु जातियाँ नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हरेक को खेती में कुछ न कुछ समय देना ही चाहिए और फिर बचे हुए समय में हर कोई अपना-अपना धंधा कर सकता है। कोई बुनकर दिन भर बुनता ही रहेगा, तो उसके शरीर का गठन अच्छा नहीं रहेगा और उसका आरोग्य भी ठीक नहीं रहेगा। आरोग्य के लिए हरेक को खेत में काम करना चाहिए। फिर बचे हुए समय में कोई बुनाई का काम करेगा, तो कोई बढ़ई का काम करेगा, तो कोई शिक्षक का काम करेगा। मैं तो चाहूँगा कि स्त्रियाँ भी खेती में काम करें और बचे हुए समय में घर का काम करें। हरेक को खुली हवा मिलनी चाहिए। मनुष्य कुदरत के साथ एकरूप होगा, तो वह एक प्रकार की परमेश्वर की उपासना होगी।

इसके आगे जाति का विचार ही छोड़ना होगा। अब जातियाँ नहीं रहेंगी, वृत्तियाँ रहेंगी। हमारी वृत्ति ग्रामसेवा की होनी चाहिए। किसी में एक शक्ति है तो किसी में दूसरी। परन्तु अपनी सब शक्तियाँ हमें ग्राम-सेवा में अर्पण करनी हैं। जो जूता बनाएगा, वह यह नहीं कहेगा कि मैं चमार हूँ, बल्कि वह कहेगा कि मैं ग्राम-सेवक हूँ। बढ़ई यह नहीं कहेगा कि मेरी जाति बढ़ई की है, बल्कि वह कहेगा कि मैं ग्राम-सेवक हूँ; शिक्षक यह नहीं कहेगा कि मेरी जाति शिक्षक की है, बल्कि यह कहेगा कि मैं ग्राम-सेवक हूँ। हर कोई कहेगा कि मेरी वृत्ति या तो बढ़ई की है या बुनकर की है, या शिक्षक की है। ये सारी वृत्तियाँ हैं, जातियाँ नहीं हैं। सब मिलकर खेती करेंगे, तो सब जातियाँ किसान के साथ एक रूप होंगी और हरेक मनुष्य किसान होगा। कोई बढ़ई-किसान, कोई बुनकर-किसान, कोई गुरुजी-किसान, कोई मंत्री-किसान, कोई न्यायाधीश-किसान। इस तरह हरेक किसान होगा और उसके साथ-साथ उसकी अलग-अलग वृत्ति होगी। इस तरह का ग्रामराज्य हमें बनाना है।

हमारा विश्वास है कि ये छोटे-छोटे गाँव हमारी कल्पना के अनुसार बनेंगे। हम इन सब लोगों को समझाने के लिए घूम रहे हैं कि भाइयो, इसके आगे तुम्हारे दिन आनेवाले हैं। तुम देख रहे हो कि ये विदेशी लोग तुम्हें देखने के लिए आए हैं।* ये लोग यह देखने के लिए आते हैं कि अपनी सारी ज़मीन देने वाले गाँव के लोग कैसे होते हैं, ज़रा हम देखें। वे समझते हैं कि ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे ये हमारे गुरु होंगे और सारी दुनिया से हिंसा को मिटा देंगे, क्योंकि अंग्रेज़, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन आदि सबने जो राज बनाया है, वह सारा स्वार्थ के ऊपर खड़ा है। वहाँ पर हरेक का व्यक्तिगत अधिकार बढ़ा दिया है कि फिर एक समाजवाद निर्माण हुआ है, जो उस व्यक्तिवाद के विरुद्ध खड़ा हो गया। अब उन दोनों के बीच टक्कर शुरु हुई है। पर जब वे देखते हैं कि सर्वोदय में व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों लीन होते हैं, तो उन्हें कुतूहल होता है कि यह काम कैसे चल रहा है, ज़रा देखें।

हमारा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्त्ता इस दृष्टि से काम करेंगे, तो हिन्दुस्तान के एक किनारे में एक ज्योति प्रकट होगी और उस ज्योति के प्रकाश से सारा हिन्दुस्तान प्रकाशित होगा। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर कुछ आदिवासी जमातें भी हैं, जो वर्षों से अपनी ज़मीन के साथ चिपकी हुई हैं और दुनिया की परवाह नहीं करती हैं। वे हिन्दुस्तान की सभ्यता की जड़ें पकड़े हुए हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये लोग जंगल में रहते हैं और 'पोडू-चास' (पहाड़ पर खेती) करते हैं, तो उन्हें वही प्रिय हैं। लेकिन यह ख्याल ग़लत है। उन्हें जंगल में ढकेला गया है। फिर भी वे ज़मीन के साथ चिपके हुए हैं और खेती को मूलधर्म मानते हैं। दूसरे लोगों ने अपने मूल-धर्म को छोड़ दिया है और दूसरी अनेक बातें ली हैं। लेकिन उन्होंने मूलधर्म को नहीं छोड़ा। ये लोग जंगल के अन्दर हटाए गए, तो वहाँ भी वे पहाड़ पर खेती करते हैं। इस तरह आदिवासियों के ये जो मूलसंस्कार हैं, वह हिन्दुस्तान का मूलधर्म है और वह मूलधर्म है भूमि-सेवा या भूमि-पूजा।

***एक अमेरिकन बहन तथा एक जर्मन भाई भूदान-कार्य का निरीक्षण करने के लिए विनोबा जी के साथ यात्रा कर रहे हैं।**

भिन्न-भिन्न आदिवासियों की जमातें सूर्य, वरुण, भू-माता आदि देवताओं को मानती हैं। ये सारे प्राचीन आर्य ऋषियों के वंशज हैं। ऋषि भी इन्हीं देवताओं का नाम लेते थे। उसके बाद नए-नए देवता निकले। भुवनेश्वर वगैरह जो सारे हैं, वे अर्वाचीन हैं। अपने देश के मूल देवता भूमि-माता, सूर्य, वरुण आदि हैं। जिसकी सेवा कर सकते हैं, उसकी सेवा करना और जिसकी सेवा नहीं कर सकते हैं, उसकी पूजा करना, यही हमारा रिवाज है। ये लोग भूमि-माता की सेवा करते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं। ये खुले बदन सूर्य-प्रकाश में घूमते हैं, तो हम समझते हैं कि सूर्य की उपासना करते हैं। जो लोग बाहर से यहाँ पर सेवा करने के लिए आएँगे, उनको भी इनके जैसे खुले बदन घूमने की आदत डालनी चाहिए। वे यह न समझें कि हम इन्हें कुछ सिखाने के लिए आए हैं, बल्कि वे यह समझें कि हम इनसे कुछ सीखने के लिए आए हैं।

जो भूमि-सेवा का मूल-धर्म है, जिसके साथ ये लोग चिपके हुए हैं, वह धर्म यह सारे हिन्दुस्तान को देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का प्रोफेसर, न्यायाधीश और मंत्री भी खेती में काम करे और बाकी बचे हुए समय में अपनी-अपनी वृत्ति क़ायम रखे। गाँव के लोग ऐसा ही करते थे। गाँव में झगड़ा होता था, तो गाँव का कोई मनुष्य फैसला देता था, याने वह न्यायाधीश का काम करता था; परन्तु वह बेकार नहीं रहता था, खेती भी करता था और साथ-साथ दूसरा काम करता था। इसी तरह देश का हरेक मनुष्य अपनी-अपनी वृत्ति अलग-अलग होने पर भी भूमि-सेवा करेगा। इस महान् विचार का, जो जीवन का एक मूलभूत विचार है, हम इस क्षेत्र में निर्माण करना चाहते हैं और अपने कार्यकर्त्ताओं को यह सिखाना चाहते हैं। हमारे जो कार्यकर्त्ता यहाँ काम करेंगे, वे यहाँ के लोगों के साथ कुछ खेती भी ज़रूर करेंगे।

यह काम सर्वांगीण क्रान्ति का काम है, सारे समाज को बदलने का काम है। इसलिए हमें हिन्दुस्तान के हर गाँव में बार-बार जाना पड़ेगा। पाँच लाख गाँवों में कम से कम बीस दफ़ा यात्रा करनी होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि देश का क्या रूप आता है। परकीय राज्य हटाने का जो काम था, उसमें तो शहरों में घूमकर थोड़ा प्रचार कर लिया, लोगों में भावना और उत्साह पैदा किया, तो काम बन जाता था। यह काम इस तरह नहीं होनेवाला है। यह तो भावना बदलने का काम है। हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्त्ता इस दृष्टि से अपने को तैयार करें।

['जीवन साहित्य' के सौजन्य से]

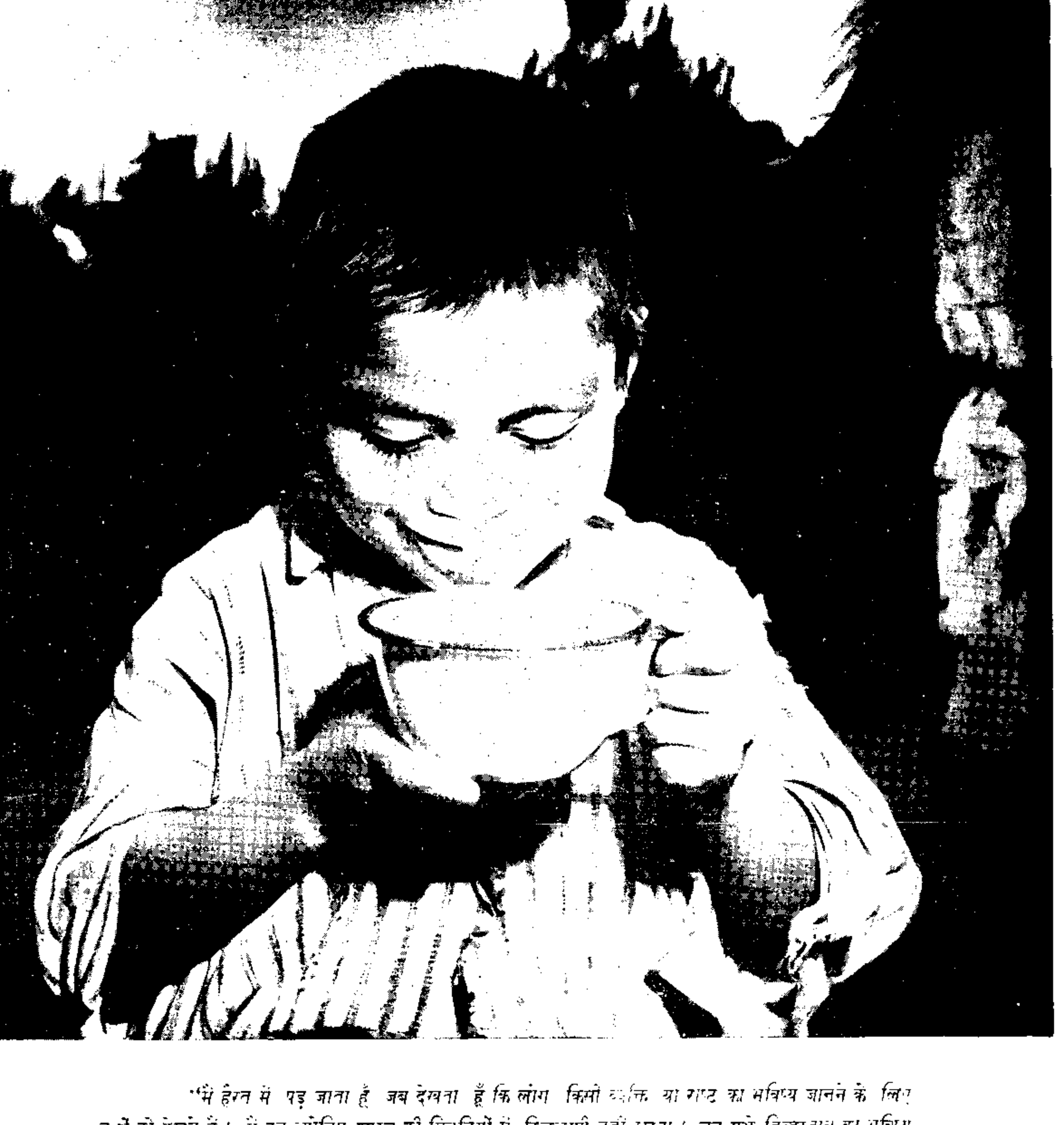

"मैं हैरत में पड़ जाता हूँ जब देखता हूँ कि लोग किसी व्यक्ति या राष्ट्र का भविष्य जानने के लिए तारों को देखते हैं। मैं इन ज्योतिष शास्त्र की गिनतियों में दिलचस्पी नहीं रखता। जब मुझे हिन्दुस्तान का भविष्य देखने की इच्छा होती है तो मैं बच्चों की आँखों और चेहरों को देखने की कोशिश करता हूं। बच्चों के चेहरों के भाव आनेवाले भारत की झलक दे देते हैं!"

— जवाहरलाल नेहरू

बच्चों का भोजन और स्वास्थ्य

सावित्रीदेवी वर्मा

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से पता चला है कि भारतवर्ष में असन्तुलित भोजन (जिसमें शरीर की ज़रूरतें पूरी करने वाले सब तत्त्व न हों) के कारण बच्चों के स्वास्थ्य आम तौर पर बहुत गिरा हुआ है। आमतौर पर बच्चों के स्कूल से गैरहाज़िर रहने का कारण ज्यादातर उनकी बीमारी ही होती है। गाँव के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें से अधिकांश का पेट बढ़ा हुआ, टांगें पतली और टेढ़ी, आँखें सूजी और कीचड़ से भरी हुई, नाक हरदम बहती हुई और चमड़ी खुश्क होती है। शहर के बच्चों की भी हालत इनसे कुछ बहुत अच्छी नहीं है। एक ही कमरे में ५०-६० बच्चे ठुसे बैठे रहते हैं। उनके चेहरे फीके व पीले होते हैं। क़दम डगमगाते रहते हैं। तन्दुरुस्ती खराब होने के कारण वे चिड़चिड़े, रोने और कमज़ोर नज़र आते हैं। पढ़ने में उनका मन नहीं लगता। शाम को कंधे पर बस्ता लटका कर बच्चे जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तब ऐसा मालूम होता है मानों हल के नीचे से मरियल बैल निकल कर लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं।

हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ दो-चार बच्चे हों और उनमें से कोई बीमार न हो। चुन्नू का हाज़मा खराब है, तो मुन्नू के दाँतों में कीड़ा लगा हुआ है, टुन्नू को जुकाम रहता है, बिल्लू को मलेरिये ने जकड़ा हुआ है, श्यामू की तिल्ली बढ़ गई है, रामू का बारहों महीने गला ही दुखता रहता है। एक बड़े डाक्टर का कहना है कि नाड़ी दुर्बलता की शिकायत प्रायः सब गरीब बच्चों में पाई जाती है। इसका कारण है उन्हें पूरी खुराक का न मिलना। मशीन का पालिश किया हुआ चावल, दालें और अनाज जो कि सीलन के कारण बिगड़ गया है, इनका सेवन करने से भी बच्चों का स्वास्थ्य गिर जाता है। बंगाल, बिहार, आसाम और मद्रास में जहाँ कि मुख्य भोजन चावल ही है, 'बेरी-बेरी' रोग के चिन्ह बच्चों में अधिकता से पाए गए हैं।

यदि बढ़ती उम्र में बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता तो उनके शरीर का ढाँचा कभी भी मजबूत नहीं बन सकता। एक किशोर को एक आदमी से अधिक खुराक की ज़रूरत है। उसके भोजन में प्रोटीन, चिकनाई और कारबो हाईड्रेट की उचित मात्रा होनी चाहिए। साथ ही, भाजी, फल और दूध भी विटामिन्स की कमी को दूर करने के लिए ज़रूरी हैं।

डाक्टरी रिपोर्ट से पता चलता है कि दुर्घटनाएँ तथा छूत की बीमारियों को छोड़कर ७५ प्रतिशत बीमारियाँ असन्तुलित भोजन के कारण होती हैं। पेट की गड़बड़, खून की कमी से उत्पन्न बीमारियाँ, बेरी-बेरी, स्कर्वी, सूखा, रिकटेस, कैलशियम की कमी, रतौन्धी, दाँतों में कीड़ा लगना इन सब का कारण असन्तुलित भोजन ही पाया गया है। शरीर के विकास का रुक जाना, स्नायु की दुर्बलता, कमज़ोरी, मन्द बुद्धि, खराब स्मरण-शक्ति तथा सनकपन के लक्षण भी बच्चों में भोजन की खराबी से ही उत्पन्न होते हैं।

आम माताओं को यह शिकायत रहती है कि जब से मुन्ने ने दूध छोड़ा है वह चटपटी चीज़ें खाने का शौकीन हो गया है या उसकी भूख ही मर गई है। इसमें दोष माँ का ही है। बच्चों को समय पर खाने-पीने की आदत न होने के कारण वह हरदम चरते रहते हैं। आम घरों में जो चीज़ें बड़े खाते हैं बच्चों को भी वे ही खिला दी जाती हैं। इससे उनकी पाचन शक्ति बिगड़ जाती है।

बच्चों के भोजन के विषय में नीचे लिखी बातों का अवश्य ध्यान रखा जाए—

(१) उन्हें भोजन समय पर तथा उनकी आयु और पाचन-शक्ति के अनुकूल देना ज़रूरी है।

(२) बच्चों का भोजन चटपटा या भारी नहीं होना चाहिए। दूध, दही, छाछ, उबाली हुई भाजी, खिचड़ी, दाल, फुलका, खीर, कच्ची भाजी के टुकड़े आदि चीज़ें उनके लिए ठीक हैं। चाट-पकौड़ी, मसालेदार भाजी, मिठाई, तली हुई चीज़ें, अचार आदि उनके लिए हानिकारक हैं।

(३) अच्छा भोजन हमेशा सन्तुलित (जिसमें सब पौष्टिक तत्त्व हों) होता है। सन्तुलित भोजन के लिए अधिक पैसे की ज़रूरत नहीं है। भोजन का ठीक चुनाव न होने और उसे ठीक से न पकाने के कारण ही हमारे गाँव और शहरों में बच्चों को अच्छा भोजन नहीं मिल पाता।

(४) भाजी छीलते, धोते और पकाते समय माताएँ उसके सार का अधिकांश भाग नष्ट कर देती हैं। बच्चों को प्रति दिन ताज़ा भोजन पकाकर दें, हलकी आँच पर भोजन पकाएँ और उन्हें साग-सब्ज़ी अधिक मात्रा में खाने को दें। बच्चों के जब दाँत निकल आएँ तो गाजर, मूली, टमाटर, शलगम, पत्ता गोभी, ककड़ी, खीरा ऐसी चीज़ें उन्हें भोजन के समय कच्ची ही खाने को दें।

(५) जिन घरों में दूध की कमी हो वहाँ बच्चों को सुबह गेहूँ का दलिया पानी में उबाल कर और गुड़ मिलाकर खाने को दिया जाए। दाल में हरी भाजी यथा पालक, बथुआ, सरसों, चौलाई, तुरई, लौकी आदि में से कोई डालकर पकाएँ। इससे भाजी और दाल दोनों की समस्या हल हो जाएँगी।

आटे की चोकर, चावल की माँड तथा हरी भाजियों के छिलके मत फेंके। इसी में बहुत कुछ सार होता है। साग-भाजी को उबालकर उसका पानी न फेंके। उसी को रसा बनाने के काम में लें।

हमारी गाँव की बहनें यदि सन्तुलित भोजन का महत्त्व समझ लें तो उनके बच्चों का स्वास्थ्य बहुत कुछ सुधर जाये। शहर की अपेक्षा गाँव में साफ़ हवा, धूप, हरी सब्ज़ी, दूध-दही और ताज़े अनाज की सुविधा अधिक रहती है। जरूरत इस बात की है कि हमारी बहनें प्रकृति की दी हुई चीज़ों का ठीक से उपयोग करना सीखें। बच्चों के पालन-पोषण के विषय में सावधानी बरतें। उन्हें खाने-पीने की अच्छी आदत डालें और सफ़ाई से रहना सिखाएँ, तब बच्चों का स्वास्थ्य सुधरते देर नहीं लगेगी।

★

नप्पिन्ना — [पृष्ठ ५ का शेषांश]

उस भूमि पर जहाँ राम और भरत रहे थे और जहाँ द्रौपदी पाँच पाँडवों के साथ रहा करती थी। इसको काल्पनिक कहानी मात्र न समझिए। इस देश में हमें हज़ारों नप्पिन्ना दिखाई पड़ सकती हैं। इन्हीं पुण्यात्माओं के त्याग के फलस्वरूप ही हम पर आनन्द-वर्षा होती है।

× × ×

लेकिन जो लोग सन्देह प्रकट करते हैं, उनमें भी सत्य का कुछ अंश अवश्य है।

जब विभीषण अपने भाई रावण को छोड़ कर राम की शरण में आया तो राम के कुछ दरबारियों ने सन्देह प्रकट किया। इस पर भगवान् ने स्वयं अपने आप से प्रश्न किया—"सभी भाई तो मेरे भाई भरत की तरह नहीं हो सकते?"

इस कहानी की नायिका पूछती-सी प्रतीत होती है—"सौतों की बात आप क्यों सोचते हैं? क्या हम दोनों बहनों की तरह नहीं रह सकतीं?" लेकिन क्या सगी बहनें एक दूसरे से नफ़रत नहीं करतीं? आपस में झगड़तीं नहीं और इस प्रकार अपने माता-पिता का दिल नहीं तोड़तीं। लेकिन अगर भगवान् की कृपा से दोनों का दिल अच्छा हो और दोनों में अच्छाई-बुराई समझने की सूझ-बूझ हो तो सौतें भी पारस्परिक प्रेम से निर्वाह कर सकती हैं। लेकिन दैवी कृपा और बुद्धि के अभाव में, एक कोख से जन्मी दो बहनें भी एक दूसरे की शत्रु बनकर अपना जीवन नरक बना सकती हैं।

बग़ैर सोचे-समझे मुसीबतों में उलझना (जैसा कि रामू ने किया था) ठीक नहीं। गल्तियाँ करके मुश्किलों में फँसना सरल है। लेकिन अगर गल्ती हो गई है तो हमें साहस नहीं खोना चाहिए और भगवान् में विश्वास रखके उससे प्रार्थना करके नप्पिन्ना की तरह अपने जीवन को कष्टमय होने से बचाना चाहिए। "हे भगवान! मुझे प्रकाश दिखाओ मेरा पथ-प्रदर्शन करो और मुझे औरों से प्रेम करने की शक्ति दो—" हमें भगवान् से यही प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार घृणा को खत्म करके प्रेम का मन्थन करते हुए हमें अपने जीवन के नियत दिन बिताने चाहिएँ। पुराणों में, देवताओं के समुद्र जल का मन्थन करके अमृत बनाने का वर्णन आया है। यह अमृत प्रेम का अमृत है जो जीवन को सार्थक कर देता है। इस पावन अमृत को त्याग कर हलाहल विष के पीछे दौड़ना मूर्खता है क्योंकि वह विष तो हृदय को जलाकर राख कर देता है।

['कल्कि' में प्रकाशित तमिल कहानी का हिन्दी रूपान्तर]

★

खेतिहर मज़दूरों की स्थिति

भारत सरकार की एक जाँच के अनुसार मध्य भारत के एक खेतिहर मज़दूर परिवार की औसत वार्षिक आमदनी ४१७ रुपया है, जबकि अखिल भारतीय औसत ४४७ रुपया है। वार्षिक औसत आमदनी सबसे अधिक यानी ४६४ रुपया भोपाल के खेतिहर मज़दूर परिवार की है और सबसे कम विन्ध्यप्रदेश की। हैदराबाद में वार्षिक औसत आमदनी ४५५ रुपया, मध्य-भारत में ३६६ रुपया और मध्य प्रदेश में ३६० रुपया है।

खेती की मज़दूरी की कुल आय, एक कृषक परिवार की कुल आमदनी का ६५.७ प्रतिशत है और खेती को छोड़कर अन्य मज़दूरी की आय ७.२ प्रतिशत, खेती की आय १३ प्रतिशत, तथा अन्य साधनों की आमदनी १४.१ प्रतिशत है।

समूचे भारत में यह जाँच-पड़ताल ३ चरण में पूरी की गई यानी, सामान्य गाँव जाँच-पड़ताल, सामान्य परिवार जाँच-पड़ताल और परिवार की पूरी जाँच-पड़ताल। परिवार की पूरी जाँच-पड़ताल के लिए भारत को छः भागों में बाँटा गया था। केन्द्रीय भारत की यह जाँच-पड़ताल इसी के अन्तर्गत की गई। परिवार जाँच-पड़ताल में श्रम जाँच समिति ने पाँच राज्यों का विवरण दिया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं—मध्यप्रदेश, मध्य भारत, हैदराबाद, विन्ध्यप्रदेश और भोपाल।

यह जाँच-पड़ताल नमूने के १३६ गाँवों में की गई। इन गाँवों में लगभग २,०३२ खेतिहर मज़दूरों के परिवार हैं।

जाँच से पता चलता है कि एक औसत मज़दूर वर्ष में २४५ दिन काम पर रहता है। इसमें से २२१ दिन वह खेती का काम करता है और २४ दिन अन्य मज़दूरी। केन्द्रीय भारत के क्षेत्र के अन्तर्गत विन्ध्य-प्रदेश में खेतिहर मज़दूर वर्ष में सबसे अधिक दिन काम पर रहता है, यानी २६४ दिन। यह औसत मध्यभारत में सबसे कम है यानी २२१ दिन। मध्यप्रदेश में यह संख्या २५५ दिन, हैदराबाद में २३५ दिन और भोपाल में २२७ दिन है।

मध्य भारत में स्त्री मज़दूरों की संख्या सबसे अधिक है। प्रति सैंकड़ा ५६ स्त्रियाँ मज़दूरी करती हैं। पुरुषों में यह संख्या ३७ है। इस क्षेत्र में स्त्री-मज़दूरों की संख्या अधिक होने का कारण संभवतः यह है कि दूसरे क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में मज़दूरी अपेक्षाकृत कम रही है। विन्ध्यप्रदेश में सबसे अधिक संख्या में स्त्रियाँ मज़दूरी करती हैं और भोपाल में यह संख्या सबसे कम है।

अखिल भारतीय औसत आय १०४ रुपया है। भोपाल में प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय सबसे अधिक यानी १०५ रुपया और विन्ध्यप्रदेश में सबसे कम यानी ८२ रुपया है। मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आय ८७ रुपया, हैदराबाद में ६७ रुपया और मध्य भारत में ८३ रुपया है।

इस क्षेत्र में खेतिहर मज़दूर परिवार का औसत वार्षिक व्यय ४२८ रुपया है (८ रुपए उत्सवों के व्यय को छोड़कर)। पूर्वी भारत के क्षेत्र को छोड़कर, इस क्षेत्र में भोजन पर सबसे अधिक व्यय का औसत पड़ता है यानी कुल खर्च का ८७.४ प्रतिशत, जबकि अखिल भारतीय स्तर ८५.३ प्रतिशत है।

रिपोर्ट में इस क्षेत्र के खेतिहर मज़दूर परिवारों के बारे में विस्तृत आर्थिक जाँच-पड़ताल प्रस्तुत की गई है। इससे पता चलता है कि खेतिहर मज़दूर परिवारों में से ५५ प्रतिशत कर्ज़ से दबे हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर पश्चिम भारत को छोड़कर, अन्य सभी क्षेत्रों के मुकाबिले इस क्षेत्र में कर्ज़दार खेतिहर मज़दूर परिवारों का औसत सबसे अधिक है। यही नहीं, इस क्षेत्र में कर्ज़ देने वालों में मज़दूरों के मालिक, महाजन, मित्र और रिश्तेदार प्रमुख हैं। ऋण देने में सहकारी समितियों और दुकानदारों का स्थान नगण्य है।

भारत सरकार की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, पंजाब, पटियाला, अजमेर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर आदि भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आमदनी १३६ रुपया है, जबकि अखिल भारतीय औसत १०४ रुपया है। यह आँकड़े भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के अखिल भारतीय खेतीहर मज़दूर जाँच-पड़ताल की एक रिपोर्ट में दिए गए हैं।

इस क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आमदनी पंजाब में १२१ रुपए से हिमाचल प्रदेश में १६६ रुपए तक है।

भारत सरकार द्वारा कराई गई जाँच-पड़ताल के आधार पर रिपोर्ट में खेतीहर मज़दूरी की दर, आमदनी के साधनों, तथा खाने-पीने पर होने वाले व्यय और कर्ज़ आदि के बारे में ब्यौरे पर प्रकाश डाला गया है।

यह जाँच-पड़ताल कुल १२३ गाँवों में की गई। इसमें ३७ राजस्थान के, २६ पंजाब के, १३ पेप्सू के, ६ अजमेर के, ६ दिल्ली के, २ बिलासपुर के, १२ हिमाचल प्रदेश के और १२ जम्मू और कश्मीर के थे। इन गाँवों में कुल ६६७ मज़दूर परिवारों की जाँच-पड़ताल की गई। इन परिवारों में २६७ राजस्थान के, २६६ पंजाब के, १६० पेप्सू के, ६१ अजमेर के, ४३ दिल्ली के, ३ बिलासपुर के, ६३ हिमाचल प्रदेश के और ६६ जम्मू तथा कश्मीर के थे।

इस क्षेत्र में एक मज़दूर की औसत वार्षिक आय ६५१ रुपए थी। इसमें ५६·८ प्रतिशत आय खेती की मज़दूरी से हुई। इस आय की १३·५ प्रतिशत आय ज़मीन की जोताई, १२ प्रतिशत खेती के अलावा और मज़दूरी से, ६·६ अन्य धंधों से तथा ८·१ प्रतिशत आय अन्य साधनों से हुई।

रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में एक खेतिहर मज़दूर परिवार का औसत वार्षिक व्यय ६७४ रुपए है। इसमें विशेष समारोहों के अवसर पर खर्च किए जाने वाले ३२ रुपए शामिल नहीं हैं। समस्त व्यय का ८४·७ प्रतिशत भोजन पर, ७·७ प्रतिशत कपड़ों और जूतों पर तथा अन्य मिश्रित मदों पर ६·२ प्रतिशत, समस्त व्यय का ०·६प्रतिशत ईंधन और रोशनी और ०·५ प्रतिशत मकान भाड़ा तथा मरम्मत में खर्च हुआ। औसत वार्षिक खर्च सबसे अधिक, ८२६ रुपये पटियाला में, और सबसे कम, ५७८ रुपए राजस्थान में रहा। जम्मू तथा कश्मीर में औसत खर्च ७८५ रुपए दिल्ली में ७२२ रुपए, पंजाब में ७१८ रुपए, हिमाचल प्रदेश में ६५६ रुपए, बिलासपुर में ६२८ रुपए और अजमेर में ६२१ रुपए रहा।

राजस्थान और पटियाला में औसत वार्षिक आय, औसत वार्षिक व्यय से अधिक थी। राजस्थान में औसत वार्षिक आय ५७८ रुपए और पटियाला में ८२६ रुपए रही। अन्य राज्यों में औसत वार्षिक व्यय, औसत वार्षिक आय से अधिक रहा।

इस क्षेत्र में खेतिहर मज़दूर परिवार की प्रति व्यक्ति आमदनी १४३ रुपए रही। देश में प्रति व्यक्ति यह आमदनी १०७ रुपए है।

उत्तर पश्चिमी भारत में कर्ज़दार परिवारों की संख्या और कर्ज़े की रकम समस्त भारत में सबसे अधिक है। लगभग ७६ प्रतिशत परिवार कर्ज़दार हैं प्रत्येक परिवार पर औसत ३३५ रुपए कर्ज़ है। पंजाब में कर्ज़ सबसे अधिक है। वहां ६०·८ प्रतिशत परिवार कर्ज़दार हैं और औसतन उन पर ३४१ रुपए प्रति परिवार कर्ज़ है। जम्मू और कश्मीर में ऋण सबसे कम है। कश्मीर में १३·० प्रतिशत परिवार कर्ज़दार हैं और औसत कर्ज़ ६३ रुपए हैं।

रिपोर्ट से पता चलता है कि इस क्षेत्र में मज़दूर औसतन वर्ष भर में २०२ दिन काम पाते हैं। उनमें से १७७ दिन वे खेती सम्बन्धी काम करते हैं और २५ दिन अन्य काम। पटियाला में मज़दूर औसतन वर्ष में २८१ दिन काम पाते हैं, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक है।

★

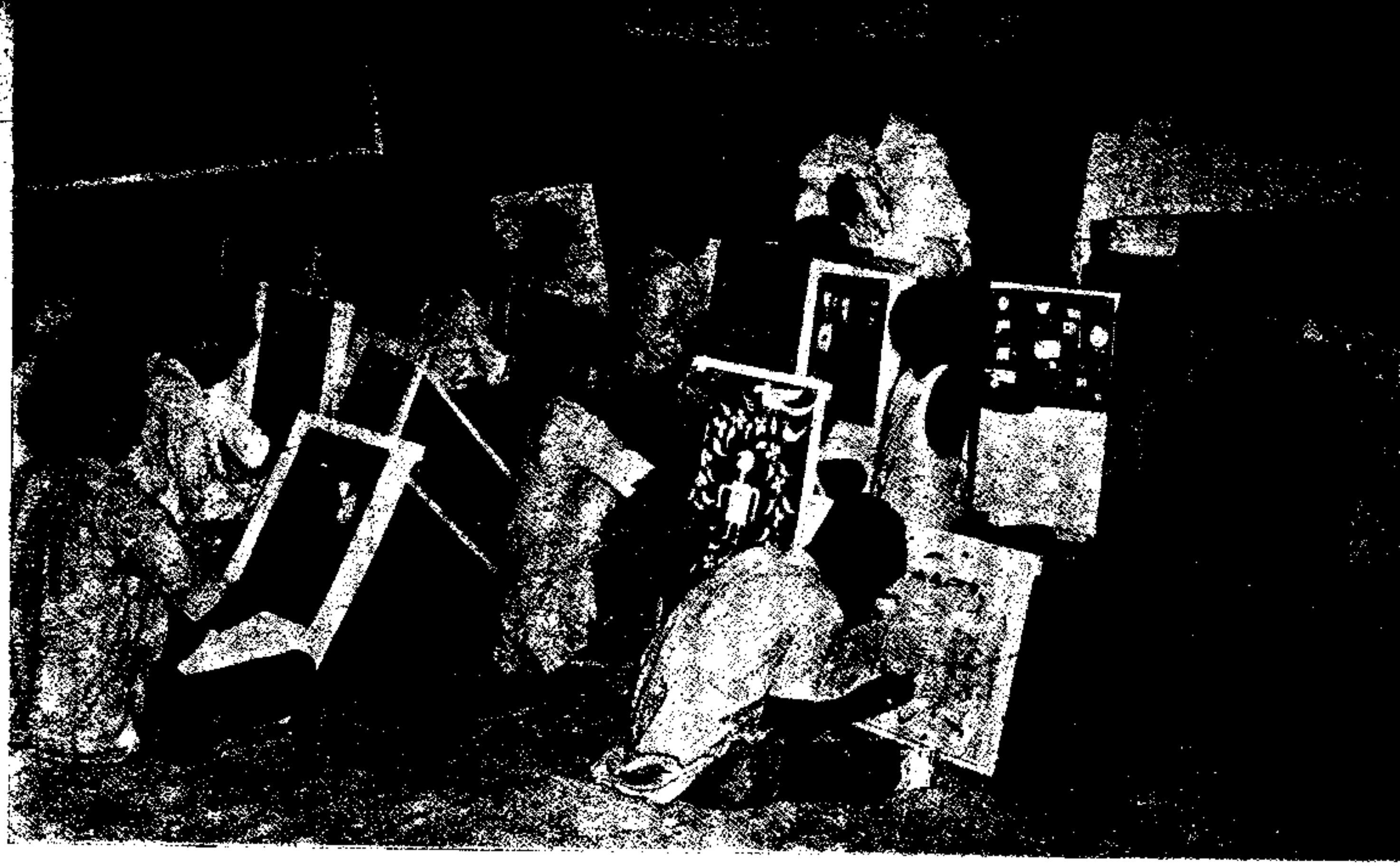

एक प्रशिक्षित कलाकार के निरीक्षण में किशोर बालक कला की साधना कर रहे हैं

सामुदायिक योजनाओं में शिक्षा

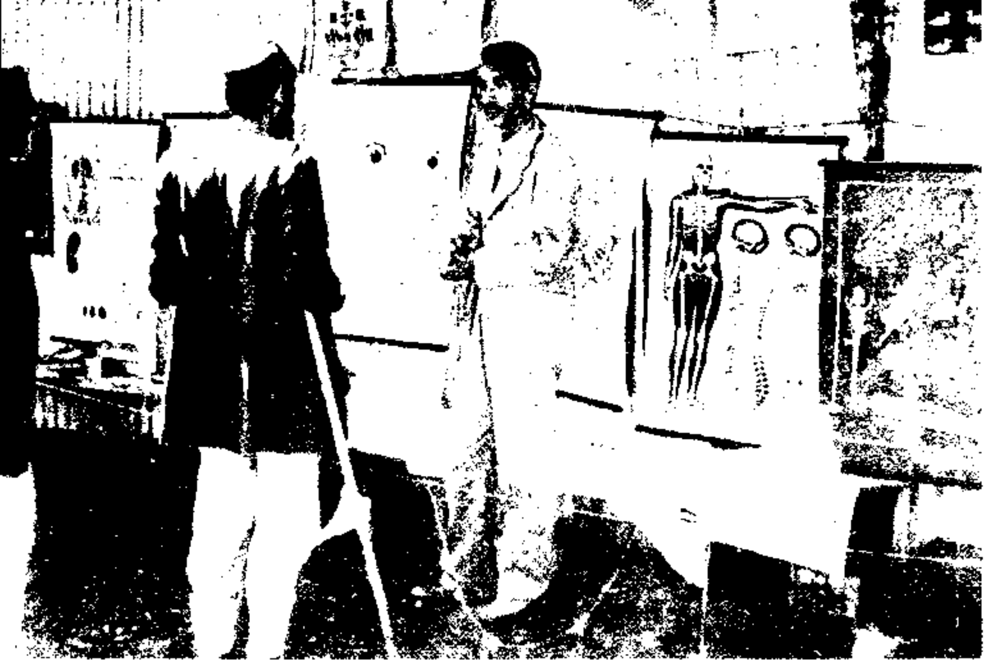

ऊपर : बाईं ओर
विकास खण्ड के कि
गांववालों को शिक्षा
पार्टी के जवाहर
ओर के चित्र में रा
में हु

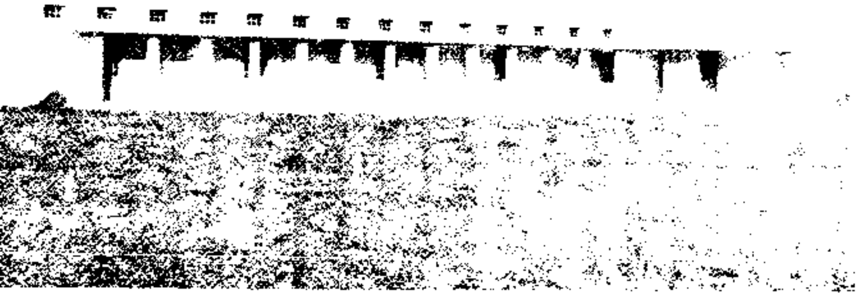

बुरारी गांव में श्रम-दान द्वारा निर्मित एक स्कूल-भवन

नीचे : बाईं ओर
भवन है, बीच में क
का एक शिल्प कला
चित्र में भोपाल

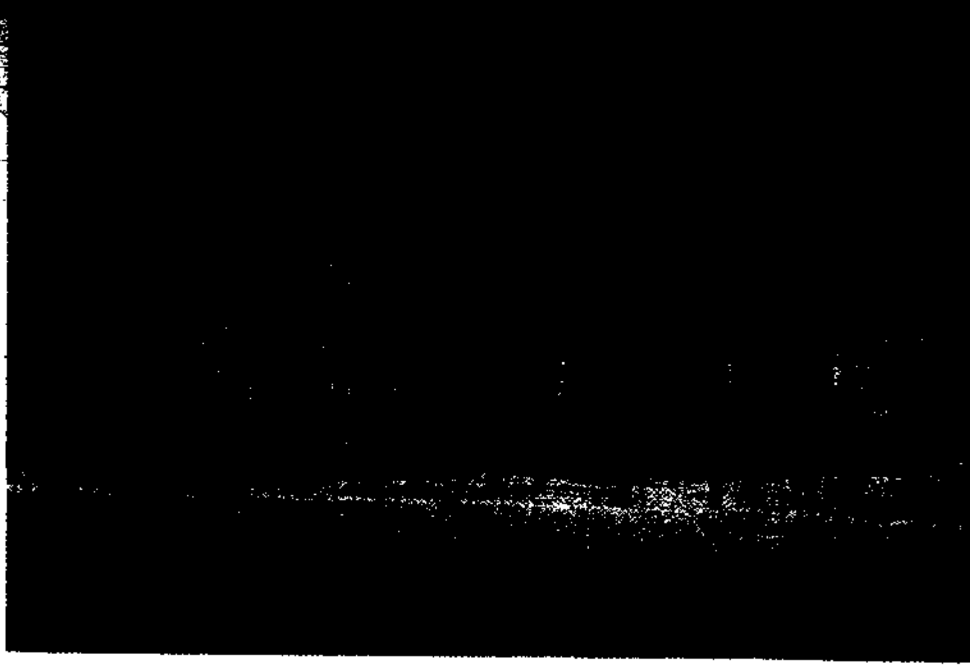

त्र में गढ़वाल के थारली
में पोस्टरों की सहायता से
रही है। बीच के चित्र में
दर की झाँकी है और दाईं
के एक जवाहर-बाल-मन्दिर
ाम कर रहे हैं

एक स्कूल का भवन जिसके
लिए गाँववालों ने ३५
हज़ार रुपया इकट्ठा किया

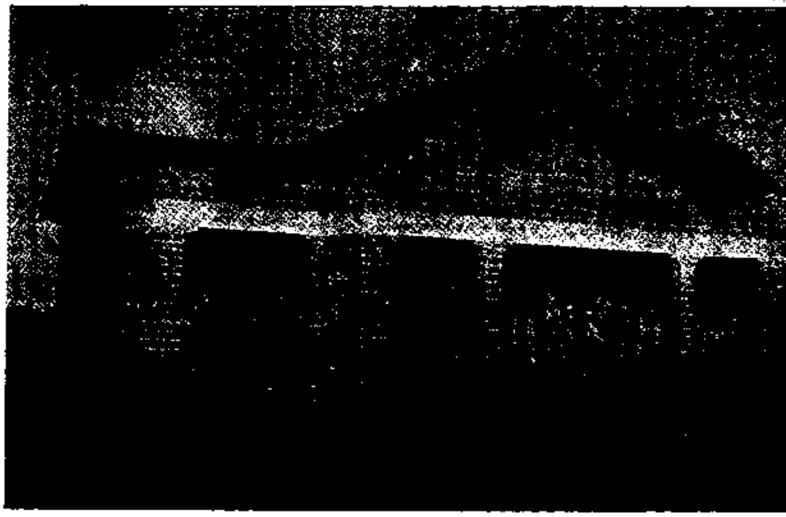

में कच्छ का एक स्कूल
एक अन्य स्कूल में बच्चों
की है और दाईं ओर के
ग्राम्य स्कूल के छात्र हैं

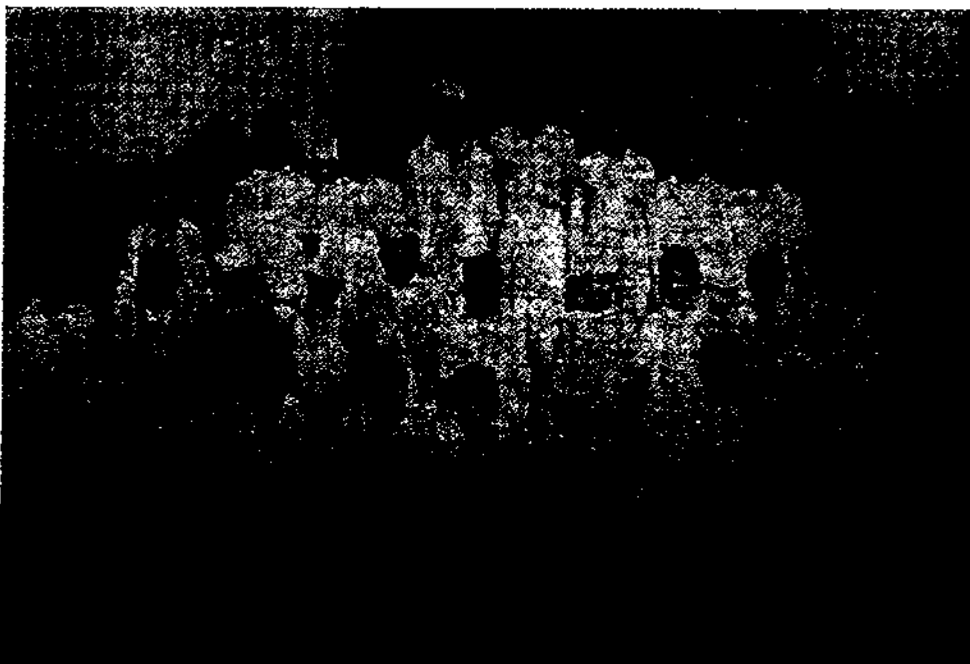

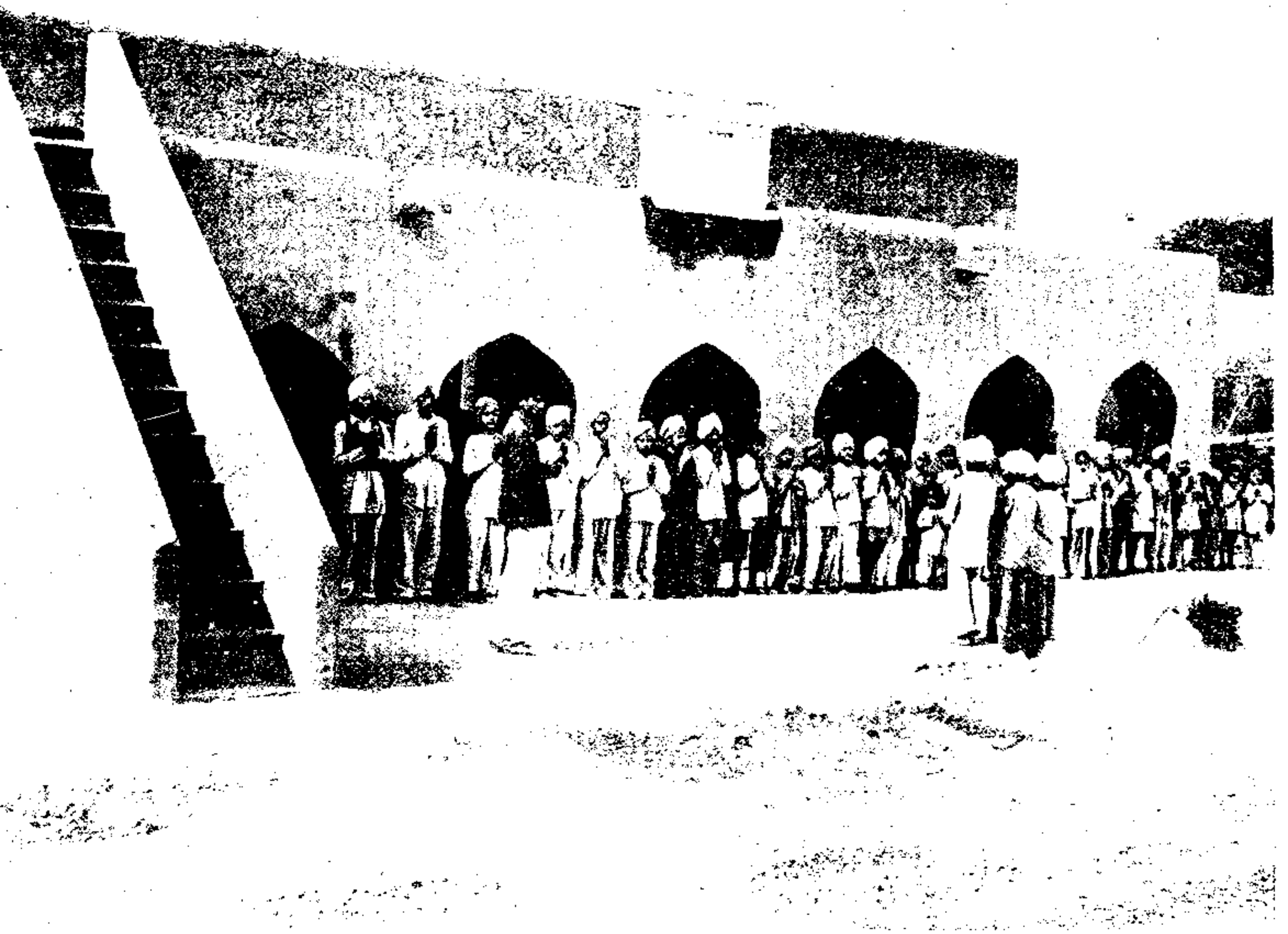

राजस्थान के राजसिंहनगर विकास खण्ड के क्षेत्र की जनता द्वारा बनाया गया एक स्कूल-भवन

एक महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, जहाँ महिलाओं का उत्साह भविष्य के लिए एक शुभ लक्षण है

आज का यह बीज

प्रयागनारायण त्रिपाठी

आज का यह बीज नन्हां, भूमि को जो चूम,
खोलता है बन्द पलकें, उग रहा है झूम;
आज धरती के हृदय का जो सपन सुकुमार,
ले रहा है रूप निश्चित, प्राण में भर प्यार।

आज अंकुर बन उगा जो, कल बनेगा वृक्ष,
आज का यह स्वप्न होगा, सत्य कल प्रत्यक्ष;
खाद चिंतन की इसे दो, और श्रम का नीर,
झूमने दो मृदु पवन में, हो न, बन्धु, अधीर।

कल बनेगा वृक्ष, सहकर शीत, छाया, घाम,
कल इसी के तले सबको मिलेगा विश्राम;
कल खिलेंगे सुमन सुन्दर, फल मिलेंगे मिष्ट,
आज का श्रम कल बनेगा वर मनोहर, इष्ट।

विकास की कहानियाँ

: १ :

एक पुराने मन्दिर की कहानी

बिजनौर-नगीना की पक्की सड़क पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के प्रधान कार्यालय से एक मील दूर रोशनपुर प्रताप नामक एक गाँव है। इस गाँव में हरिजनों का बहुमत है, इसी कारण गाँव का प्रधान भी एक हरिजन ही है। यह गाँव पंचायती अदालत का केन्द्र है और यहाँ ग्राम सेवक का प्रधान कार्यालय भी है। ग्राम सेवक ने आरम्भ में ही गाँव में एक बहुत बड़ी कमी महसूस की थी। पंचायती अदालत, ग्राम सभा और सामुदायिक केन्द्र के लिए वहाँ कोई अलग उपयुक्त इमारत न थी। उसने प्रधान से सम्पर्क स्थापित किया और उसे प्रोत्साहन देते हुए कहा—"तुम अपने प्रधान होने की कौन सी निशानी छोड़ जाओगे जिससे गाँव वाले तुम्हें याद किया करेंगे ?" यह बात प्रधान के दिल में घर कर गई और उसने निश्चय कर लिया कि अपने कार्यकाल में वह गाँव में पंचायत-घर अवश्य बनवाएगा।

प्रधान ने पंचायत-घर की इमारत के लिए उपयुक्त स्थान ढूँढ़ना शुरू किया। उसको कोई अच्छा स्थान नज़र न आया। अन्त में उसकी नज़र एक भूमि के टुकड़े पर पड़ी जिसके आधे भाग पर एक बहुत पुराना मन्दिर बना हुआ था और बाकी हिस्से में एक पुरानी इमारत के खंडहर थे। प्रधान ने सवर्ण हिन्दुओं के नेता से वहाँ पंचायत-घर बनवाने के लिए कहा परन्तु वह राज़ी न हुआ, क्योंकि पंचायत-घर बन जाने पर मन्दिर की भूमि पर हरिजन प्रार्थना करते। ग्राम सेवक उलझन में फँस गया। अन्त में उसने इस समस्या का एक हल निकाल लिया। उसने गाँव के स्कूल में रोज़ कीर्त्तन करना आरम्भ किया, जिसमें दोनों वर्गों के नवयुवक भाग लेते थे। इसके बाद उसने एक कीर्त्तन और ड्रामा मण्डली की स्थापना की। इस मण्डली का प्रधान सवर्ण हिन्दुओं के नेता को बनाया गया। विभिन्न स्थानों पर नाटक भी खेले गए।

एक दिन जब दोनों वर्गों के लोग एक नाटक देखने आए हुए थे तो एक नवयुवक ने सुझाव रखा कि इस प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम के लिए एक अलग इमारत बनाई जाए। उपस्थित लोगों में काफ़ी बहस हुई और अन्त में सभी इस नतीजे पर पहुँचे कि इस उद्देश्य के लिए मन्दिर वाली भूमि से बढ़ कर कोई भूमि नहीं है। मण्डली के प्रधान ने भी यह सुझाव मान लिया क्योंकि इस बार यह सुझाव गाँव के हरिजन प्रधान की ओर से न आकर मण्डली के नवयुवक सदस्यों की ओर से आया था।

अगले ही दिन हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं की एक भीड़ के सामने इमारत की नींव रख दी गई। ग्राम सभा के खाते से बकाया पूंजी निकलवा ली गई, उन करों की वसूली की गई, जिन की अदायगी अब तक नहीं हुई थी। लोगों ने कुछ रुपया और वस्तुएँ इमारत के लिए स्वयं भी दीं और श्रमदान भी किया। इसके अतिरिक्त खण्ड अधिकारियों से उन्हें कुल लागत की एक चौथाई रक़म प्राप्त हुई।

इस ज़ोर-शोर से काम किया गया कि कुछ ही दिनों में उस खंडहर के स्थान पर एक इमारत खड़ी हो गई। अब रोशनपुर प्रताप गाँव के लोग गर्व से कह सकते हैं कि उनके गाँव में भी एक पंचायत-घर और सामुदायिक केन्द्र है।

: २ :

कीर्त्तन का महत्व

अक्तूबर १९५२ की बात है। रबी फ़सल से पहले सारे इलाके में नए बीज इस्तेमाल करने का प्रचार किया गया था—"नए बीजों से उपज ज्यादा होती है और कीड़े भी नहीं लगते।" कुछ किसानों ने अपने खेत विकास कर्मचारियों के हवाले कर दिए और प्रदर्शन के लिए इन खेतों में नए बीज इस्तेमाल किए गए। इन खेतों पर फ़सल बड़ी शानदार हुई, उपज भी अधिक हुई और पहले से बेहतर भी। अगले वर्ष सारे गाँव में बढ़िया बीज इस्तेमाल किया गया। सारे गाँव की उपज पहले से बढ़ गई और सभी खुशी से फूल उठे। एक दिन शाम को इसी खुशी में भजन-कीर्त्तन का आयोजन किया गया। वर्षा के कारण कीर्त्तन शुरू करने में एक घंटे की देर हो गई।

मुखिया की चौपाल में लोगों के बैठने के लिए नए गलीचे बिछवाए गए थे। वर्षा समाप्त होते ही एक-एक करके लोग आने शुरू हुए परन्तु आनेवाले लोगों के पैर कीचड़ से सने हुए थे। ऐसी हालत में वे नए गलीचे पर नहीं बैठ सकते थे और सभी ने पाँव धोने के लिए पानी मांगा। कीचड़ से सभी परेशान थे। अन्त में एक आदमी ने कहा—"क्यों न इस मुसीबत को सदा के लिए खत्म कर दें ?" सबने उसका समर्थन किया। अगले दिन सुबह सब पुरुष फावड़े और कुदाले लेकर तथा स्त्रियाँ टोकरियाँ लेकर

बाहर निकल आए। सड़क के रास्ते की सब रुकावटों को साफ़ कर दिया गया। चार महीने के कठिन परिश्रम के पश्चात् डेढ़ मील लम्बी पक्की सड़क तैयार हो गई। और अब वर्षा हो या न हो, वे लोग भजन-कीर्तन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं।

: ३ :

क्या खोया, क्या पाया

अधिक समय नहीं बीता जब मुलुग (तेलंगाना) में अशान्ति का बोल-बाला था। लोगों के दिलों में डर ने घर कर लिया था और उन्हें चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देता था। पुलिस और आतंकवादियों के हथियारबन्द गिरोह इधर-उधर घूमते नज़र आते थे। कोई भी आदमी अपने को सुरक्षित अनुभव नहीं कर सकता था। सच तो यह है कि भयभीत लोग सीधा खड़े होना भी भूल चुके थे। घर का बुना हुआ एक कम्बल ही उनकी एकमात्र निधि रह गई थी। इस कम्बल के पीछे शताब्दियों के शोषण की कहानी छिपी हुई थी। इन्सान के वे प्रयास छिपे हुए थे जो उसने अपने को इन्सान मनवाने के लिए और अपने पसीने की कमाई को 'अपना' साबित करने के लिए किए थे। उनको कोई इन्सान नहीं समझता था और उनकी कोई सुनवाई न थी।

कुछ दिन बाद मुलुग में शान्ति स्थापित हो गई। लोग अपने-अपने घरों को लौट आए। लेकिन वास्तविक शान्ति अब भी वहाँ न थी क्योंकि वास्तविक शान्ति तो तभी हो सकती है जब जनता सन्तुष्ट होजाती। लोग भयभीत थे। भयभीत इसलिए क्योंकि उनका विचार था कि शान्ति स्थापित होते ही ज़मींदार और महाजन पुनः आकर अपनी सत्ता क़ायम कर लेंगे। सरकारी कर्मचारियों तक के प्रति जनता संदिग्ध थी।

५८ गाँव और लगभग ४३,००० जन-संख्या वाले इस भूमि भाग में अक्तूबर १९५२ में सामुदायिक विकास योजना का श्रीगणेश किया गया। शुरू में जनता उससे एकदम उदासीन रही। कर्मचारियों की बात मानकर उनके साथ सहयोग देना तो दूर रहा, उन्होंने उनसे बात तक नहीं की। क्योंकि उनके दिल में डर बैठा हुआ था और वे अपरिचितों से घबराते थे। गाँववाले उन्हें हमेशा सन्देह की दृष्टि से देखते रहे। वह समय विकास योजना के कार्यकर्त्ताओं के धैर्य, लगन, समझ और सेवा की कठिन परीक्षा का समय था।

धीरे-धीरे कई महीनों के पश्चात् कार्यकर्त्ताओं ने अपने धैर्य, मैत्री और सेवा से उनके सन्देह को दूर कर, उनका सहयोग प्राप्त कर लिया। कार्यकर्त्ताओं ने उन्हें अच्छे धान को जापानी तरीके से बोना सिखाया जिससे अधिक चावल उत्पन्न हुआ। वे लोग स्वयं काम कर के गाँववालों को खेती और जुताई के तरीके सिखाते रहे।

वे उनके साथ खाद के गड्ढे खोदते और गलियों को साफ़ करते थे। उन्हें ऋण और सरकारी सहायता से नए स्कूल, सड़कें, प्रसूतिका केन्द्र और शिशु-स्वास्थ्य केन्द्र, सहकारी भंडार, नए घर और कुएँ बनाने की योजनाओं के बारे में बताते थे। कुछ समय बाद उन्होंने उनके डर को दूर कर दिया और उनका विश्वास प्राप्त कर योजना के प्रति उनमें रुचि जाग्रत करने में सफल हो गए। इसके बाद तो गाँव वालों ने बिना किसी संकोच के स्कूल, सड़कें और केन्द्र बनाने, मलेरिया रोकने, पशु रोगों के दूर करने, पुराने कुएँ साफ़ करने और नए कुओं का निर्माण करने, घर और गाँव को साफ़-सुथरा रखने में सहयोग देकर योजना के पूरा करने में सहायता की।

परन्तु सदियों के अत्याचार और अन्याय से उत्पन्न भय का एकदम उन्मूलन नहीं हुआ था। भविष्य के प्रति और इन ग्राम सेवकों की भावनाओं के प्रति वे अभी तक पूर्ण आश्वस्त नहीं थे। उन्हें डर था कि ज़मींदार और महाजन कहीं फिर शक्तिशाली हो कर उनके करे-कराए पर पानी न फेर दें। ज़मींदारों के लम्बे शोषण के बाद उन्हें यह विश्वास दिलाना बड़ा कठिन था कि सरकार उनसे अलग रहकर गाँववालों के लिए कुछ कर सकती है। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ग्राम सेवकों ने ज़मींदारों को एकदम दूर हटाकर रख दिया है। इन सेवकों ने सीधे गाँववालों के पास जाकर उन्हें 'विकास खण्ड' के बारे में समझाया। आखिरकार गाँववालों को यह विश्वास हो गया कि यह कर्मचारी उन अत्याचारी ज़मींदारों से भिन्न हैं और गाँववालों के हितैषी हैं। वे लोग जो आरंभ में इन सेवकों को बुरा-भला कहते थे, बाद में स्वयं उनके अनुगामी हो गए। उन्होंने गाँववालों को संगठित होकर स्कूल बनाने और खेती के जापानी तरीके प्रयोग में लाने के लिए प्रेरित किया। गाँव के पुराने मुखिया और ज़मींदार का इसमें कोई हाथ नहीं था। विकास-कार्य के संयोजक यही लोग थे और ज़मींदारों का उसमें कोई हस्तक्षेप न था। गाँव के इन नए नेताओं और योजना के कार्यकर्त्ताओं के संयुक्त सहयोग से भूमिहीनों को भूमि मिली और गाँवों में सहकारी समितियों की स्थापना हुई। गाँववालों का डर दूर हो रहा था, आवश्यकताएँ पूरी हो रही थीं और वे संगठन और एकता के महत्व को समझ रहे थे। उनकी शक्तियाँ पुनः सजीव हो उठी थीं। उन्हें मार्ग मिल गया था और उस पर वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे।

[शेष पृष्ठ ३१ पर]

विस्तार कार्य का नेतृत्व

अमरीकसिंह चीमा

आर्थिक पहलू के अतिरिक्त हमारे सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का सबसे बड़ा योगदान भारत में जनतन्त्री ढाँचा स्थापित करने में सहयोग देना है। इसके कार्यरूप में परिणत होते ही सहकारी समितियों और पंचायत जैसी जन-संस्थाओं को बड़ा बल मिला है। यह इसलिए आवश्यक भी था क्योंकि इसका उद्देश्य केवल भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति ही नहीं है बल्कि जनता के कल्याण के लिए जनता में उसकी शक्ति और उत्तरदायित्वों के प्रति जागृति उत्पन्न करना भी है। स्व-सहायता, आत्मनिर्भरता और सहयोग के सिद्धान्त के अत्यधिक विस्तार के प्रति जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए कार्यक्रम के साथ जनता तथा उसकी संस्थाओं का घनिष्ठतम सम्बन्ध बनाए रखना ज़रूरी है।

हमको जिस बात की सबसे पहले आवश्यकता है वह देश में एक शक्तिशाली ग्राम संगठन है। सामुदायिक विकास का ध्येय समुदाय के सदस्यों का अपनी भलाई के लिए संयुक्त प्रयत्न करना है। समुदाय के सदस्यों में यह जागृति केवल एक ऐसे संगठन द्वारा आ सकती है जिसका उद्देश्य ग्रामवासियों में ऐसी भावना पैदा करना हो जिससे उनके कल्याण के लिए, कार्य करनेवाली संस्थाओं को बल मिले। सामुदायिक संगठन जिन तरीकों से सार्वजनिक हित और सम्बन्धों को उन्नत बना सकता है वे ये हैं—

(१) व्यक्ति को इस बात के प्रति सचेत कर देना कि वह किसी विशिष्ट समुदाय का, चाहे वह गाँव हो अथवा विकास खण्ड एक सदस्य है।

(२) सड़कों, अच्छे विद्यालयों, चिकित्सालयों, स्त्री शिक्षा आदि आवश्यकताओं की अनुभूति कराना, जनता में दृढ़ सामाजिक भावनाएँ पैदा करना जिससे वह अपने को अलग और निर्वासित न समझे, अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार सारे व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए संगठित और उत्साहित होकर प्रयत्न करें। दूसरे शब्दों में जनता के सहयोग का क्षेत्र एक शक्तिशाली संगठन के द्वारा काफ़ी बढ़ाया जा सकता है।

पंचायत संस्था ने हमारे देश में इस प्रकार के संगठनों को सम्भव बना दिया है। सामुदायिक विकास तथा विस्तार कार्यक्रम स्वतः ही बहुत कुछ इस पर निर्भर हैं। परन्तु प्रश्न तो अब यह है कि यह पंचायत संगठन हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है अथवा नहीं। इसका नकारात्मक उत्तर देने के लिए किसी को हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका मुख्य कारण उचित नेतृत्व का अभाव है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि पंचायत में हमारे प्रतिनिधि अपने गुणों के बल पर नेताओं का पद प्राप्त करें और गंभीर उत्तरदायित्वों को निवाहें न कि धनवान होने के कारण नेता बनाए जाएँ। उन लोगों में इन गुणों का अभाव होने के कारण हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसलिए इस सम्बन्ध में उचित नेतृत्व का विकास करना विस्तार योजना का एक आवश्यक अंग बन जाता है। ग्रामीणों का नेतृत्व करने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है, हमारे लिए उनका अध्ययन करना उचित होगा। यह नेतृत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, और किस प्रकार इसका विकास हो कि एक प्रभावपूर्ण ग्राम संगठन बन सके?

सबसे पहले हमें नेतृत्व के अर्थ स्पष्ट कर लेने चाहिएँ। टीड के अनुसार नेतृत्व का अर्थ किसी वांछनीय उद्देश्य की पूर्ति के लिये जनता को प्रभावित कर सकना है। गाँव में सामुदायिक संगठन के लिए नेता वह है जो लक्ष्य और उद्देश्यों को दूसरों से पहले समझ लेता है, जो कार्यक्रम पूरा करने में दूसरों की सहायता कर सकता है। पंचायतों में या गाँव की तदर्थ समितियों में हमारा प्रतिनिधित्व उसी को करना चाहिए जो—

(१) विस्तार कार्यक्रम की उपयोगिता में अटूट विश्वास रखता हो,

(२) अपने काम और उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह पूरा करता हो,

(३) बुद्धिमान और निस्वार्थी हो,

(४) चतुर और विनोद-प्रिय हो,

(५) सहिष्णु, धीर और क्षमाशील हो,

(६) प्रगतिशील विचार रखता हो और दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा दे सकता हो,

(७) ग्राम-सेवा में अपना समय लगा सकता हो, और

(८) किसी भी वर्ग और समुदाय के आपसी झगड़ों से दूर हो।

विस्तार कार्यक्रम के लिए नेता की आवश्यकता तो अपने आप ही स्पष्ट है। नेता ग्रामवासियों को उनकी आवश्कताओं और उन्नत तरीकों के बारे में कहीं अच्छी तरह समझा

सकते हैं। वे विस्तार कार्यक्रम को व्यर्थ की आलोचनाओं से बचाकर लोगों को उसके पक्ष में कर सकते हैं। इसका दूसरा लाभ यह है कि कार्यक्रम में अधिक व्यक्तियों का सहयोग लेकर वे उनको उनके उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत भी कर सकते हैं।

साधारणतया नेता दो प्रकार के होते हैं—

(१) **संगठन बनाने वाले नेता**—जो किसी वांछनीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यक्तियों की रुचि, चेष्टा और शक्तियों को संगठित करके कोई काम करते हैं। ये नेता गाँव के ही होने चाहिएँ और उनके कुछ अनुगामी भी होने चाहिएँ। किसी व्यक्ति में चाहे स्वाभाविक नेता की योग्यता और सहानुभूति हो परन्तु जब तक वह गाँव का ही एक अंग नहीं बन जाता, उसे सफलता नहीं मिल सकती।

(२) **व्यावसायिक नेता**—जो अपने दैनिक कार्य जैसे खेती करना, पशुओं की नस्ल में सुधार, शिल्प आदि में प्रगति दिखाते हैं, नेताओं के इस वर्ग में आते हैं। उनका प्रधान लक्ष्य जीविका में सुधार करना और गाँव में अपने साथियों को अच्छी बातों की शिक्षा देना होता है। हमारी पंचायत और दूसरी संस्थाओं का निर्माण इस प्रकार का होना चाहिए जिनमें इन दोनों प्रकार के नेताओं का उचित सामंजस्य हो।

पंचों का मुख्य काम जैसा कि आज कल की पंचायतों में होता है, केवल गाँव के झगड़े तय करना रह गया है। परन्तु इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य विस्तार कार्यक्रम में सहायता देना है जिसकी ओर वे कोई ध्यान नहीं देते। उनको समाचार वितरित करने का साधन बनना, उन्नत प्रणालियों और परिणामों को दिखाना, सभाओं और यात्राओं का प्रबन्ध करना, गाँव की समस्याओं को ठीक से समझ कर उनका निरीक्षण करना, कार्यक्रमों को बनाने और प्रचार में सहायता देना, और गाँव की विभिन्न समस्याओं को हल करने के उपयुक्त साधनों की अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए।

जैसा पहले बताया जा चुका है भारत का ग्रामीण वर्ग नेतृत्व के लिए पंचायतों में चुने हुए प्रतिनिधियों पर निर्भर करता है। हम गाँव के विभिन्न नेताओं के गुण, वर्ग और कार्यों का उल्लेख कर चुके हैं। प्रश्न अब यह उठता है कि प्रतिनिधियों का उपयुक्त चुनाव किस प्रकार हो? आज के युग में हमारे देश में निरीक्षण और प्रोत्साहन अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु यह शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। जनता को सचेत रहना चाहिए कि उसके प्रतिनिधि योग्य हों। अधिकारियों का कर्त्तव्य स्वयं चुनाव करना नहीं है बल्कि जनता को ठीक चुनाव करने में सहायता देना है। ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ताओं और उच्च अधिकारियों को समय-समय पर जनता को योग्य नेतृत्व के सिद्धान्त समझाते रहना चाहिए और उनको गाँव में किए गए अच्छे कामों के बारे में बताते रहना चाहिए।

इन सुझावों के बारे में किसी प्रकार की गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए। योग्य और बुद्धिमान नेताओं का पाना कोई सरल काम नहीं है।

धीरे-धीरे जनता के साथ काम करते हुए और व्यक्तिगत गुणों को परखकर विस्तार कार्यकर्त्ता योग्य प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में लाभदायक सुझाव दे सकते हैं। इन नेताओं की शिक्षा भी कोई साधारण काम नहीं है। यह आवश्यक है कि विस्तार कार्यक्रम में चुने हुए प्रतिनिधियों की शिक्षा का ही नहीं बल्कि सम्भावित प्रतिनिधियों की शिक्षा के लिए भी सुविधाएँ होनी चाहिएँ। विस्तार कार्यक्रम में काम करनेवाले अधिकारियों की उचित शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया गया है, किन्तु साथ ही यह भी ज़रूरी है कि उनके साथ जो लोग काम करें उन्हें भी शिक्षा दी जाए।

सबसे बढ़िया प्रशिक्षण स्वयं काम करने से मिलता है। ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ताओं का कर्त्तव्य है कि वे गाँव के वर्तमान और सम्भावित नेताओं को उत्तरदायित्वपूर्ण काम सौंप कर उन्हें अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन और विकास का अवसर दें।

अनेक प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों आदि द्वारा गाँव में प्रभावपूर्ण नेतृत्व उत्पन्न किया जा सकता है। गाँव के नेताओं को ऐसे अवसर दिए जाने चाहिएँ जिससे वह किसी उपयुक्त स्थान पर जैसे खेत या शिक्षा केन्द्र में कुछ समय के लिए कैम्प आदि स्थापित कर सकें। वहाँ उनको किसी खास पेशे की उन्नत टेकनीक और तरीके भी सिखाए जा सकते हैं।

यदि नेताओं को यह शिक्षा ठीक ढंग से मिले तो यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि विस्तार कार्यक्रम में ज्यादा लोग भाग लेंगे और यह योजना सफल होगी। तभी भारत का लोकतन्त्र राज्य सच्चे अर्थों में सार्थक होगा।

★

[illegible] प्रसिद्ध [illegible] देख रहे हैं

हमारे सम्मानित अतिथि

सोनीपत सामुदायिक योजना क्षेत्र की एक सभा में श्री ख्रुश्चेव भाषण दे रहे हैं

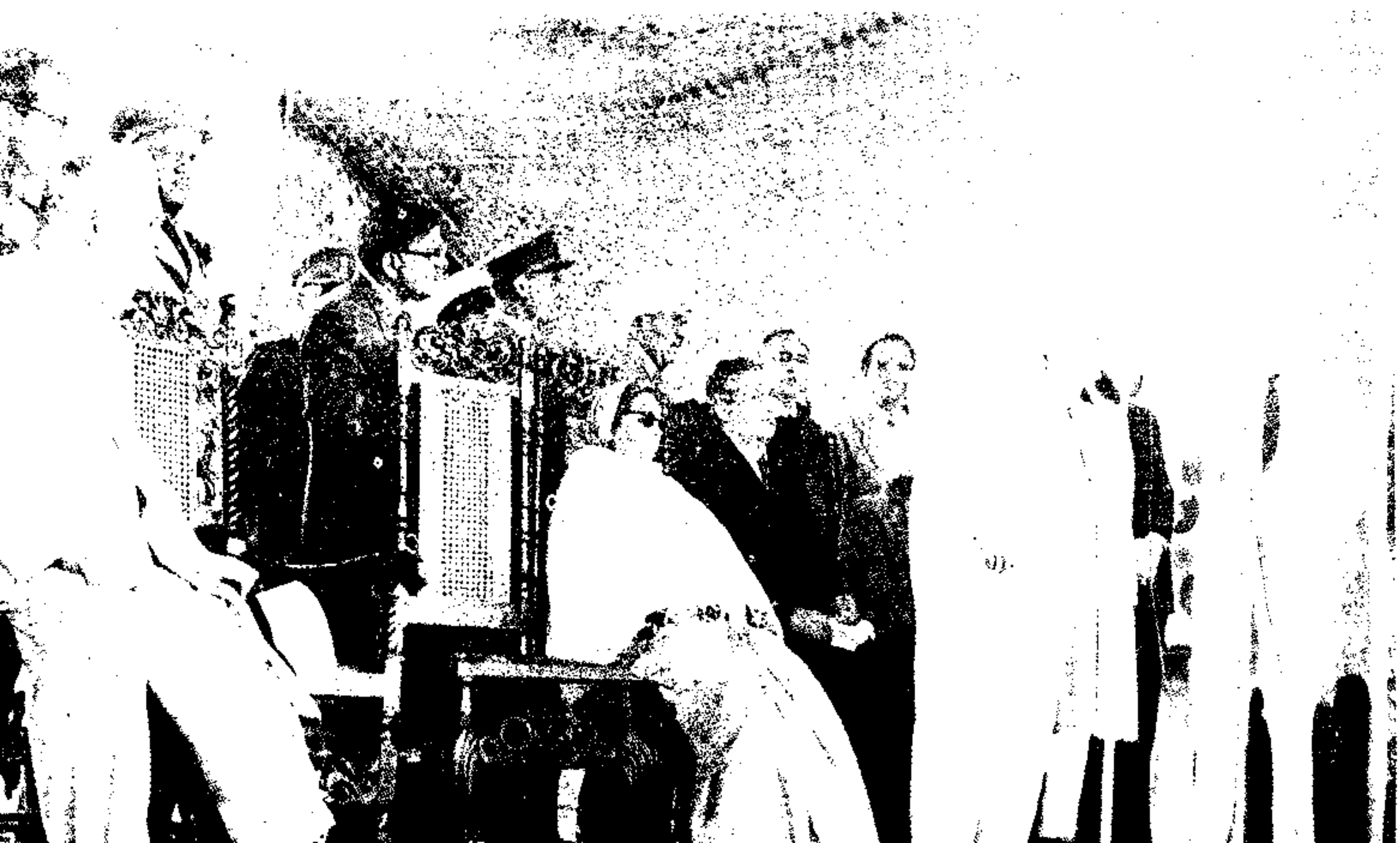

रूसी नेता बड़ी उत्सुकता से अपने सम्मान में आयोजित दंगल देख रहे हैं

रूसी नेताओं के सम्मान में प्रसिद्ध भारतीय पहलवानों की कुश्तियों का आयोजन किया गया

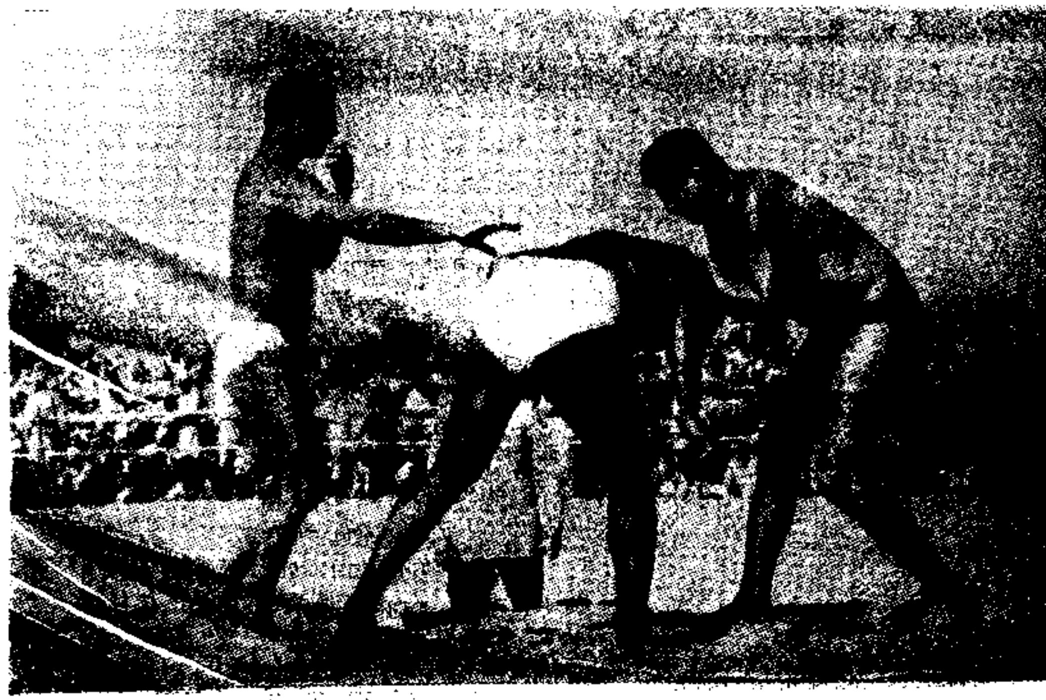

रूसी नेता सोनीपत सामुदायिक योजना-क्षेत्र में हाथ की छपाई देख रहे हैं

लोहड़ी : पंजाब का लोकप्रिय त्यौहार

प्राणनाथ सेठ

बैसाखी के बाद पंजाबी किसानों का सब से लोकप्रिय त्यौहार है लोहड़ी। बैसाखी यदि गर्मियों का त्यौहार है तो लोहड़ी जाड़े का। बैसाखी पर किसान अपनी पकी हुई फ़सलों को देख कर फूला नहीं समाता। उस दिन से वह गेहूँ की कटाई आरम्भ करता है। खुशियों के अवसर पर वह जी भर कर नाचता है, गाता है और अच्छे से अच्छा भोजन करता है। लोहड़ी का उत्सव जनवरी के मध्य मनाया जाता है जबकि पंजाब के देहात में बला की सर्दी पड़ रही होती है। किसानों के पास फुरसत का काफ़ी समय होता है। रातें लम्बी होती हैं और दिन छोटे। आपस में मिल बैठने का कोई मौका होना चाहिए। लोहड़ी यह अवसर प्रदान कर देती है। इस दिन रात के समय पंजाब के देहात व नगरों में जगह-जगह लकड़ी के ढेर इकट्ठे करके जलाए जाते हैं जिन्हें लोहड़ी कहते हैं। लोहड़ी के चारों ओर बूढ़े, युवक तथा स्त्रियाँ सब बैठ जाते हैं। लोक-गीत तथा लोक-नृत्य होते हैं। रेवड़ियाँ और तिल लोहड़ी में डाले जाते हैं और उन्हें बाँट कर खाया जाता है। यह बड़े हर्ष का अवसर होता है। लोहड़ी की गर्मी जाड़े को भगा देती है। अतः लोग जी भर कर आपस में हँसी-ठट्ठा करते हैं।

उत्सवों में प्रायः बच्चे सब से आगे रहते हैं। लोहड़ी तो एक तरह से बच्चों का ही त्यौहार है। पौष की पहली तारीख से बच्चे घर-घर जाकर लोहड़ी के लिए लकड़ियाँ माँगना शुरू कर देते हैं। प्रत्येक घर से एक-एक लकड़ी इकट्ठी की जाती है। इनमें से कुछ तो प्रति दिन जला ली जाती हैं, शेष लोहड़ी के पर्व के लिए रख ली जाती हैं। लोहड़ी के दिन उन घरों से पैसे भी वसूल किए जाते हैं जहाँ गत वर्ष कोई लड़का पैदा हुआ हो या ब्याह हुआ हो। इन पैसों से रेवड़ियाँ खरीद कर आपस में बाँट ली जाती हैं।

लोहड़ी माँगने के लिए लड़कों की अलग टोली निकलती है और लड़कियों की अलग। लड़कों और लड़कियों के लोहड़ी लोक-गीत पृथक्-पृथक् हैं। लड़कों के गीतों में रौब और अकड़ होती है। वे एक तरह से 'सत्याग्रह' की धमकी देकर लकड़ी वसूल करते हैं, मिन्नत-खुशामद नहीं करते। लड़कियाँ इसके प्रतिकूल सामूहिक गान द्वारा किसी नव-विवाहिता जोड़े या नव-जात शिशु को आशीर्वाद देती हैं या उस घर की मंगल कामना करती हैं, जहाँ वे लकड़ी माँगने के लिए आई हों। उनके गीतों में माधुर्य और रस होता है।

लोहड़ी माँगने के लिए लड़कों का सबसे लोकप्रिय गीत है :

सुंदर मुंदरिए, हो
तेरा कौन बिचारा, हो
दुल्ला भट्टी वाला, हो
दुल्ले धी परणाई, हो
सेर शक्कर आई, हो
कुड़ी दे बोझे पाई, हो
कुड़ी दा लाल पटाका, हो
कुड़ी दा सालू पाटा, हो
सालू कौन समेटे, हो
चाचा गाली देवे, हो
चाचे चूरी कुट्टी, हो
जिमींदारां लुटी, हो
जिमींदार सदाए, हो
गिन गिन पौले लाए, हो
इक पोला खुस गया, हो
मुण्डा वोहटी लै के रुस गया

यह एक अर्थहीन-सी तुकबन्दी है जिसमें सुन्दरी नामक एक सुन्दर बाला से पूछा जाता है कि तुम्हारा संरक्षक कौन है? वह बताती है कि मेरा संरक्षक दुल्ला भट्टी वाला है। दुल्ला अपनी लड़की की शादी रचाता है। शादी के लिए वह जो भोजन तैयार करता है, उसे ज़मींदार लूट कर ले जाते हैं। गीत में आगे चल कर कहा गया है कि इन ज़मींदारों को बुलाकर सौ-सौ जूतियाँ लगाई जाएँ।

लड़कों के सारे ही गीत बेमतलब नहीं होते। इस गीत में शक्कर माँगने का कितना रोचक ढंग है :

आखो मुण्डियो ताना
बागे विच लाना
बागे मैंनूं कोडी दित्ती
ओह कोडी मैं खूह विच सुट्टी
ओस खूह मैंनूं पानी दित्ता
ओह पानी मैं पिपल नूं दित्ता

ओस पिपल मैनूं सोटी दित्ती
ओह सोटी मैं ग्वाल नूं दित्ती
ग्वाले मैनूं गौ दित्ती
ओह गौ मैं बाह्मण नूं दित्ती
ओस बाह्मण मैनूं धोती दित्ती
ओह धोती विछावांगे
शक्कर विच पवावांगे

—'कहो लड़को कहो ताना
इसे हम बाग में लगाएँगे
बाग से मुझे कौड़ी मिली
वह कौड़ी मैंने कुएँ में फेंकी
कुएँ ने मुझे पानी दिया
वह पानी मैंने पीपल को लगाया
पीपल से मुझे छड़ी मिली
छड़ी मैंने ग्वाले को दे दी
ग्वाले ने मुझे गाय दी
वह गाय मैंने ब्राह्मण को दी
ब्राह्मण ने मुझे धोती दी
इस धोती को हम बिछाएंगे
इसमें शक्कर डलवाएँगें'

यदि इन गीतों से काम नहीं चलता तो 'सत्याग्रह' शुरू हो जाता है :

हिलना भई हिलना, लक्कड़ लै के हिलना।

कंजूस से कंजूस गृहस्थ को भी इस आग्रह के सामने झुकना ही पड़ता है। हाँ, उन घरों को छोड़ दिया जाता है जहाँ पिछले वर्ष कोई ग़मी हो गई हो।

ग्राम-बालाओं के गीत बड़े मीठे होते हैं। उदाहरण के लिए इस गीत को देखिए :

असीं आइयां कुड़े, असीं आइया कुड़े
असीं लम्बड़ां वेहड़े आइयां कुड़े
सानूं आइयां नूं लेफ तुलाइयां कुड़े
लेफी कौन कौन सुत्ता कुड़े
सुत्ता भैणदा वीरा कुड़े
सुत्ते नूं कौन जगावे कुड़े
जगावे एहदी बन्नो कुड़े
भर लयावे दुध दी छन्नी कुड़े
छन्ने दे विच्च मेवा कुड़े
जुग जुग जीवे वीरा तेरा कुड़े

—'बहनों, हम आई हैं, हम आई हैं
हम लम्बरदार के घर आई हैं,
हमें रज़ाईयां और तुलाईयां दी गईं,
रज़ाई में कौन कौन सोया था,
रज़ाई में बहन का भाई सोया था,
सोये हुए को कौन जगावे,
उसकी पत्नी जगायेगी,
उसे कहो कि दूध का कटोरा भर लाए,
बहन कटोरे में मेवा पड़ा हुआ है,
तेरा भाई जुग-जुग जिए !'

लोहड़ी के इस गीत में बड़े ही अनूठे ढंग से लड़कियों ने घर की मालकिन से गुड़ माँगा है :

ऐतवार ऐतवार
भन्न खड़िकी अंदर बार
अंदर बार
अंदर लिप्पां बाहर लिप्पां
लिप्पां घर दी आली
वीर मेरे दी वोहटी आई
सूहए चूड़े वाली
नी सुलक्खना वेहड़ा
साडी अलोहड़ी लोहड़ी
दानां फक्का नाइयां लैना
लैनी गुड दी रियोड़ी

—'बहनों, आज इतवार है इतवार
मैं कभी अन्दर जाती हूँ कभी बाहिर,
कभी अन्दर लेपती हूँ कभी बाहिर,
मेरे भाई की पत्नी आई है,
उसने गहरे लाल रंग का चूड़ा पहन रखा है,
यह बड़ा भाग्यवान घर है,
हमारी विलक्षण लोहड़ी है,
अन्न दाना तो नाईयों ने लेना है,
हमें तो गुड़ की एक रेवड़ी चाहिए !'

इसी तरह का एक और गीत है :

आ वीरा तू जा वीरा
बन्नो नूं लिया वीरा
बन्नो तेरी हरी भरी
राजे दे दरबार खड़ी
इक फुल्ल जा पिया
राजे दे दरबार गिया
राजे बेटी सुत्तो पई

सुती नूं जगा लिया
रत्ते डोले पा लिया
रत्ता डोला चीकदा
भाबो नूं उडीकदा
भाबो कुछड़ गीगा
ओह मेरा भतीजा
भतीजे पैरीं कड़ियां
किस सुन्यारे घड़ियां
घड़न वाला जीवे नी
घड़ान वाला जीवे नी
पा दे गुड़ दी रयोड़ी
—'जाओ मेरे भाई जाओ,
अपनी पत्नी को ले आओ,
तुम्हारी पत्नी बड़ी भाग्यवान है,
वह राजे के दरबार में खड़ी है,
एक फूल जा पड़ा,
वह राजे के दरबार में गिरा,
राजे की बेटी सोई पड़ी है,
सोई हुई को जगा दो,
उसे डोली में डाल लाओ,
डोली चीख रही है,
उसे भाभी की प्रतीक्षा है,
भाभी की गोद में बच्चा है,
वह मेरा भतीजा है,
बच्चे के पाँव में गहना है,
इसे किस सुनार ने घड़ा है,
इस गहने को घड़ने वाला जीवे,
इस गहने को घड़ाने वाला जीवे,
हमें गुड़ की एक रयड़ी दे दो।'

इस प्रकार रोज़-रोज़ गीत गाते हुए लोहड़ी का शुभ दिन आ जाता है। प्रत्येक घर के बाहर, प्रत्येक मुहल्ले में लोहड़ी जलाई जाती है, मिठाईयाँ बाँटी जाती हैं, बधाइयाँ दी जाती हैं। गत वर्ष जिस घर में ब्याह हुआ हो या बच्चा पैदा हुआ हो, वहाँ तो विशेष धूमधाम होती है।

लोहड़ी का त्यौहार कैसे प्रारम्भ हुआ, इस बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। एक दन्तकथा के अनुसार लोहड़ी हिरण्यकशिपु की बहन थी। उसे वरदान था कि आग उसे कभी न जला सकेगी। भाई के आदेशानुसार वह अपने भतीजे प्रह्लाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। भगवान ने उसे पाप की सज़ा दी। लोहड़ी आग में जल कर राख हो गई और प्रह्लाद साफ़ बच निकला। तब से प्रतिवर्ष लोहड़ी को जलाया जाता है। एक अन्य दन्तकथा के अनुसार लोहड़ी एक देवी थी जिसने एक शक्तिशाली राक्षस को जला कर राख कर दिया था।

दन्तकथाएँ चाहे कुछ भी हों, इसमें सन्देह नहीं कि लोहड़ी पंजाब का एक लोकप्रिय त्यौहार है। जिन दिनों यह त्यौहार आता है किसानों के पास काफ़ी समय होता है। सर्द और लम्बी रातों को सुहावनी बनाने के लिए वे आग जला लेते हैं और यही पंजाब की लोहड़ी है।

दक्षिण कनारा में विकास की प्रगति

इस ज़िले के १,१२३.८६ वर्ग मील में फैले हुए २६२ गाँव सामुदायिक योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत हैं जिनकी कुल जनसंख्या ६,३२,५६८ है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के अन्तर्गत ६८३.२६ वर्ग मील में फैले हुए १६१ गाँव हैं जिनकी कुल जनसंख्या ३,२३,२०७ है। इनमें से ४१४.४१ वर्ग मील में फैले हुए ६४ गाँवों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा १६५४ में आरम्भ की गई। इन गाँवों की कुल जनसंख्या १,०६,६२० है।

सामुदायिक योजना कार्य और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लागू किए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के महान् परिवर्तन हुए हैं। इन क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा अब अधिक सड़कें, नालियाँ, पुल तथा पुलियाँ हैं और बहुत से अन्य कार्यों का निर्माण जारी है। उन क्षेत्रों के पशुओं में काफ़ी सुधार हुआ है जहाँ बीमारी फैलने की आशंका रहती है। उन्नत तरीके अपनाने के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। नई शिक्षण संस्थाएँ खुल रही हैं और नए भवनों का निर्माण हो रहा है। ये परिणाम केवल सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप नहीं बल्कि जनता में नई चेतना आने के कारण प्राप्त हुए हैं।

इस उन्नति में पंचायतों, ग्राम सेवा संघ, सहकारी समितियों तथा समाज सेवा संगठनों जैसी लोकतन्त्री संस्थाओं ने भी अपना पूरा योगदान दिया है। पंचायतों का योगदान संचार-साधनों तथा सफ़ाई के क्षेत्र में, सहकारी समितियों का योगदान मुख्यतः अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करने तथा कुछ हद तक बाज़ार व्यवस्था करने में (जिनसे ग्रामीणों की आर्थिक परिस्थिति में सुधार हुआ है), तथा समाज सेवा संगठनों का योगदान शिक्षा तथा डाक्टरी सहायता के क्षेत्र में रहा है। ग्राम सेवा संघ समाज-शिक्षा देने में लाभप्रद सिद्ध हुए हैं। लोग पंचायतों, ग्राम सेवा संघ तथा सहकारी समितियों में दिनों-दिन अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। जिन क्षेत्रों में पंचायतें अथवा ग्राम सेवा संघ नहीं हैं, उन क्षेत्रों के लोग इनकी स्थापना के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। ये संगठन गाँवों में नए नेतृत्व की दिशा में प्रेरणा प्रदान करते हैं।

लोग अपने गाँवों में अधिक से अधिक सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए उत्साह पूर्वक प्रयत्नशील हैं। वे समृद्ध जीवन बिताने के लिए अत्यन्त लालायित हैं। समाज में जो लोग सब प्रकार से सम्पन्न हैं, वे अपने साधनहीन पड़ोसियों की सहायता करते हैं। उनकी यह सहायता विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रमों के लिए नकद दान के रूप में होती है। वे सहकारी आन्दोलन तथा विभिन्न समाज सेवा संगठनों का भी संचालन कर रहे हैं।

जहाँ तक सहकारी आन्दोलन का सम्बन्ध है, सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। सहकारी समितियाँ प्रत्येक परिवार को सहकारिता के ढाँचे में लाने का प्रयास कर रही हैं। अभी तक तो सहकारी आन्दोलन सामान्यतया अल्प-कालीन ऋण तक ही सीमित है, किन्तु अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे प्रयास का अभाव नहीं है। यहाँ यह बता देना उचित होगा कि मंजेश्वर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में एक बहुद्देश्यीय सहकारी समिति एक 'ग्राम पुस्तकालय' की व्यवस्था करती है।

सामुदायिक योजना कार्य में नवयुवकों का अभी उतना सहयोग प्राप्त नहीं हो सका है जितना कि होना चाहिए। ग्राम-मनोरंजन तथा सामुदायिक मनोरंजन के क्षेत्र में नवयुवकों का योगदान गौण नहीं है। युवकों को 'युवक सभाओं' तथा 'युवक किसान क्लबों' में संगठित किया जा रहा है जो कार्यक्रम को कार्य-रूप में परिणत करेंगे।

मंजेश्वर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में जापानी ढंग से खेती करने का जब पहले-पहल प्रचार हुआ, तो बहुत कम लोगों ने ही इसको अपनाना स्वीकार किया, यद्यपि अधिकारियों ने प्रचार करने में कोई कसर न उठा रखी थी। जिन लोगों ने जापानी ढंग से धान की खेती करने की पद्धति अपनाई, उनमें से भी कुछेक इसके प्रति उदासीन रहे और उन्होंने ठीक ढंग से पद्धति के नियमों का पालन नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका उत्पादन थोड़ा रहा। ऐसे लोगों की उल्टी-सीधी बातों का प्रभाव उनके पड़ोसियों पर पड़ना स्वाभाविक ही था। इससे कुछ निराशा दिखाई देने लगी, किन्तु छः प्रगतिशील किसानों का, जिन्होंने पद्धति के नियमों का पालन ठीक ढंग से किया था, उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक रहा। उनकी सफलता से इस पद्धति का प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को काफ़ी बल मिला। अब प्रत्येक मौसम में जापानी ढंग से धान की खेती अधिक से अधिक भूमि में की जाने लगी है।

इसी भाँति शुरू में बनावटी खाद, कीटनाशक दवाओं तथा उन्नत बीजों के सम्बन्ध में भी शंका की जाती थी। किन्तु अब इन चीज़ों की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। पशुपालन के क्षेत्र में भी लोग अपने पशुओं की नस्ल सुधारने और इसके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं।

सूलिया सामुदायिक विकास खण्ड में केवल स्थानीय ग्रामीणों के प्रयास से ही एक पहाड़ी क्षेत्र में १५,००० रुपए की लागत पर नौ मील लम्बी सड़क का निर्माण हुआ।

प्रगति के पथ पर

भोपाल में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास-विस्तार केन्द्र

गत दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में भोपाल में सुदूर पूर्व के देशों की विस्तार सेवाओं के अधिकारियों का एक अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विस्तार-विकास केन्द्र आरम्भ हुआ। इसका उद्घाटन आयोजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री कृष्णमाचारी ने किया। केन्द्र में सुदूर पूर्व के देशों की विस्तार सेवाओं के उच्च-प्रशासकों के लिखे हुए २५ पत्र आए, जिन पर सब प्रतिनिधियों ने विचार किया। इसके अलावा इन देशों की विस्तार सेवाओं की गति पर भी केन्द्र में विचार किया गया।

इन पत्रों में विस्तार कार्य की गुंजाइश और सिद्धान्तों, सामाजिक हितों तथा इस कार्य की प्रगति के मूल्यांकन पर प्रकाश डाला गया था। इन पर केन्द्र की अलग-अलग बैठकों में सविस्तार विचार किया गया।

यह केन्द्र क़रीब १ सप्ताह तक रहा और इसमें लंका, मलाया, फिलिपाइन्स, थाई देश, इन्डोनेशिया, जापान, वियतनाम तथा भारत के ३२ प्रतिनिधि और अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा कई अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के १४ प्रेक्षकों ने भाग लिया।

इस तरह का यह पाँचवां केन्द्र था। इससे पहले यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, निकट पूर्व और कैरोबियन क्षेत्र के देशों के चार केन्द्र और हो चुके हैं। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न देशों के ग्राम-विकास कार्यों से सम्बद्ध उच्च-अधिकारियों को एक स्थान पर एकत्र होने और अपने-अपने अनुभव एक-दूसरे को बताने और दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करना है। साथ ही ये लोग ऐसी समस्याओं को हल करने के उपाय भी सोचते हैं, जो भिन्न-भिन्न देशों में ग्राम-विकास के कार्यों में सामने आती हैं।

कृषि विस्तार विकास केन्द्र के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित गोष्ठी को भेजे गए एक सन्देश में राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र-प्रसाद ने कहा कि भारत जैसे कृषि-प्रधान देशों में विस्तार सेवाओं का बड़ा महत्व है। परन्तु अन्य कार्य-क्षेत्रों की भाँति इसमें भी बहुत कुछ सफलता विस्तार-कार्यकर्ताओं की योग्यता और प्रशिक्षण पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि ऐसी गोष्ठियाँ पारस्परिक विचार-विनिमय द्वारा अनुभव और ज्ञान बढ़ाने में सहायक होती हैं।

यह सन्देश केन्द्र के उद्घाटन के समय भोपाल के मुख्य आयुक्त श्री के० पी० भार्गव ने पढ़कर सुनाया।

भोपाल के मुख्य मन्त्री डा० शंकरदयाल शर्मा ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए इस बात पर बल दिया कि विस्तार सेवाएँ गाँवों का नक्शा बदलने में सहायक होती हैं।

खाद्य और कृषि संगठन की कृषि संस्था और सेवा शाखा के अध्यक्ष श्री ए० एच० मौन्डर ने इस अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया।

योजना-कर्मचारियों का अन्तर्राज्यीय भ्रमण

सामुदायिक योजना प्रशासन ने फोर्ड फाउन्डेशन की सहायता से योजना कर्मचारियों के अन्तर्राज्यीय भ्रमण की व्यवस्था की है। इस भ्रमण का उद्देश्य एक योजना क्षेत्र में प्राप्त अनुभवों और ज्ञान को दूसरे योजना क्षेत्र के लाभ के लिए पहुँचाना और दूसरे योजना क्षेत्र के अनुभवों और ज्ञान से लाभ उठाना है। १५ चुने हुए योजना कर्मचारियों का पहला दल हिमाचल प्रदेश के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में भारत के १० राज्यों के भ्रमण के लिए १४ दिसम्बर को नई दिल्ली से रवाना हुआ। इस दल में सब श्रेणियों के योजना कर्मचारी हैं, जैसे विकास अधि-कारी, समाज शिक्षा संगठन कर्ता और ग्राम सेवक। यह दल ४२ दिन तक समस्त भारत का भ्रमण करेगा।

इस दल के प्रस्थान के समय नई दिल्ली में भाषण देते हुए सामुदायिक योजना प्रशासन के प्रशासक श्री एस० के० डे ने कहा कि इस योजना के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि एक योजना क्षेत्र में काम करनेवाले कर्मचारी दूसरे योजना क्षेत्र में जाकर वहाँ के कर्मचारियों को अपने अनुभव बताएँ और दूसरे योजना क्षेत्र में वहाँ के कर्मचारियों ने जो अनुभव प्राप्त किए हैं, उनको जानें तथा अपने क्षेत्र में वापस आकर उनका प्रयोग करें।

दूसरा उद्देश्य बताते हुए श्री डे ने कहा कि समस्त भारत में चालू सामुदायिक योजनाओं में एकरूपता का होना बहुत आवश्यक है। देश के विभिन्न भागों में सामुदायिक योजनाएँ चालू हैं, परन्तु उनमें एकरूपता न होने से प्रगति अधिक नहीं हो पाती। अनुभव और ज्ञान के आदान-प्रदान से योजना के कार्यक्रमों में एकरूपता आएगी और प्रगति भी अधिक होगी।

छोटे और ग्राम-उद्योगों का विकास

अखिल भारतीय दस्तकारी मंडल ने एक प्रस्ताव पास करके कर्वे समिति के प्रतिवेदन पर अपने विचार प्रकट कर दिए हैं।

मंडल ने इस बात के लिए समिति की सराहना की है कि उसने ग्रामीण और छोटे उद्योगों तथा दस्तकारी के विकास की समस्या पर पूरा-पूरा ध्यान दिया है।

परन्तु मंडल का यह कहना है कि समिति ने इस बारे में कोई स्पष्ट सिफ़ारिश नहीं की कि भारत सरकार ने बड़े कारखानों की कपड़े की रंगाई और सिलाई की जो सीमा निश्चित कर दी है, वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में जारी रखनी चाहिए या नहीं। मंडल का यह विचार है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में भी यह व्यवस्था जारी रखनी चाहिए।

मंडल ने छोटे उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में समिति की सिफ़ारिशें स्वीकार कर ली हैं, परन्तु उसका यह कहना है कि इन उद्योगों को जो रक़म दी जाए, उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से कर देना चाहिए और उसको और किसी काम में न लेना चाहिए। मंडल ने बताया है कि इसके विकल्प में, दस्तकारी के लिए ऋण देने के लिए एक विशेष 'छोटे उद्योग और दस्तकारी ऋण कोष' स्थापित किया जा सकता है।

मंडल ने समिति के उन प्रस्तावों का पूरा समर्थन किया है, जो उसने छोटे उद्योगों के लिए एक मंत्रालय स्थापित करने, विभिन्न मंडलों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने और राज्य सरकारों के उद्योग और सहकारिता विभागों में अधिक सम्पर्क स्थापित करने के बारे में किए हैं।

दस्तकारी मंडल और खादी एवं ग्राम उद्योग मंडल के अधिकार सीमित हैं। इसलिए वे निश्चित समय में अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सकते। अतः दस्तकारी मंडल का कहना है कि उसके लिए शीघ्र से शीघ्र संसद के अधिनियम द्वारा एक स्वशासन प्राप्त कानूनी संस्था बना दी जाए। मंडल को यह जानकर बड़ा दुःख हुआ है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दस्तकारी के विकास के लिए निर्धारित रकम २५ करोड़ से घटाकर ११ करोड़ रुपए कर दी गई है।

★

विकास की कहानियाँ : ३ : — [पृष्ठ २१ का शेषांश]

अपनी शक्ति के एहसास के साथ ही गाँववालों में असन्तोष भी फैला। उनकी नई आशाओं के अनुकूल गाँव की चीज़ें पुरानी पड़ने लगीं। वे गाँव को नया रूप, नया जीवन देना चाहते थे। उनका अवरुद्ध विद्रोह भड़क उठना चाहता था। उन्होंने गाँव का नवनिर्माण किया। नए झोंपड़ों के स्थान पर योजनाएँ बनाकर कलापूर्ण झोंपड़े बनाए गए। और इस सब के पीछे योजना कर्मचारियों की अनवरत लगन थी जिससे नए समुदाय, नए नेता, और नए दृष्टिकोणों का जन्म हुआ।

आज भी मुलुग क्षेत्र में परिवर्तन गतिशील है। अब यहाँ अपेक्षाकृत अधिक अन्न पैदा होता है और दस में से नौ एकड़ भूमि में जापानी तरीके से धान बोया जाता है। पहले तीन में से एक व्यक्ति मलेरिया का शिकार था परन्तु अब २५ में से केवल एक व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है।

गाँववालों के बनाए हुए ३६ नए स्कूल आज छात्र-छात्राओं से भरे हुए हैं और लगभग १,२०० प्रौढ़ पढ़ना-लिखना सीख रहे हैं। योजना ऋण से गाँववालों ने ५०० से ऊपर नए घर बनाए अथवा उनकी मरम्मत की। यह साफ़-सुथरे घर आज गाँवों का आकर्षण बने हुए हैं। गाँववालों के बनाए हुए तीन प्रसूतिका केन्द्र और शिशु कल्याण केन्द्र जनता की सेवा कर रहे हैं। प्रोत्साहन मिलने और काम की सुविधाएँ मिलने के कारण गाँववालों ने श्रम, पृथ्वी और नक़द सभी प्रकार का यथाशक्ति दान दिया है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि निर्धनता के होते हुए भी उन लोगों ने गाँव की उन्नति के लिए प्रायः चार लाख रुपए का दान दिया।

आज यदि आप इस क्षेत्र के किसी भी गाँव में, विकास आयुक्त से लेकर साधारण ग्राम सेवक तक किसी भी कार्यकर्त्ता के साथ जाएँ, या स्वच्छ गाँव में उसका साफ़-सुथरा घर देखें तो आप देखेंगे कि लगातार गाँववाले उस कार्यकर्ता के पास आकर उसका अभिनन्दन करेंगे और धान के नए बीज, धूम्र रहित चूल्हे, कुआँ बनाने की योजना, चौड़ी सड़कें बनाना, और सहकारी संस्था खोलने आदि के बारे में बड़ी जिज्ञासा से अनेक बातें जानने की कोशिश करेंगे।

जब हम गाँववालों की आशाओं, उत्सुकता और सफलताओं की ओर देखते हैं और विस्तार योजना के कार्यकर्त्ताओं की सहायता और नेतृत्व में उनकी अगाध श्रद्धा और असीम विश्वास देखते हैं तो हमें प्रधान मन्त्री की याद आती है जिन्होंने एक बार कहा था—'भारत में सर्वत्र मानव प्रयास के केन्द्र हैं। ये केन्द्र उन दीपकों के सदृश हैं जो आस-पास के अन्धकार की गहनता को अपने प्रकाश द्वारा दूर करते हैं।'

समाचार-समीक्षा

नीलोखेड़ी में किसानों की गोष्ठी

बम्बई और पंजाब में लगभग एक हज़ार मील की दूरी है और रीति-रिवाज आदि में भी इन दोनों राज्यों के निवासी भिन्न हैं। परन्तु गत मास नीलोखेड़ी के निकट एक छोटे गाँव में इन दोनों राज्यों के कृषकों की एक बैठक हुई, जिसने इस दूरी को मिटा दिया। उसमें सभी किसानों ने साथ मिलकर आनन्द से गाया और नाचे। उस समय उनमें पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र का भेद-भाव मिट चुका था। वे एक ही धरती-माता के पुत्र थे, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आत्मनिर्भरता का सहारा ले अपना भाग्य-निर्माण करने में जुटे हैं।

नीलोखेड़ी में ऐसी गोष्ठियाँ पहले भी कई बार हो चुकी हैं। पहले यहाँ विभिन्न राज्यों से अखिल भारतीय कृषक संगठन के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे। इसके बाद बम्बई राज्य से ऐसी ही एक टोली आई और अब उसी राज्य से यह तीसरी टोली आई थी। इस अन्तिम टोली में नडियाड ज़िले के एक सामुदायिक योजना खण्ड के ५४ गाँवों के प्रतिनिधि थे। इसमें १०० महिलाएँ तथा सभी जातियों और समुदायों के सदस्य शामिल थे।

अपने क्षेत्र के अतिरिक्त सबसे पहले वे नीलोखेड़ी की सामुदायिक योजना देखने गए। उन्होंने वहाँ के प्रशिक्षण केन्द्र और नीलोखेड़ी में तैयार माल की एक प्रदर्शनी देखी। परन्तु, सबसे अधिक प्रसन्नता उन्हें बुटाना गाँव में जाकर हुई। वहाँ के ग्राम-वासियों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया और उन्हें सामुदायिक केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र आदि दिखाए और उन सभी सुविधाओं से अवगत कराया जो उस गाँव को विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मिल रही हैं।

गाँव की इस यात्रा के अन्त में ये दोनों टोलियाँ साथ-साथ बैठीं तो उनमें भ्रातृभाव की भावना पूर्ण रूप से व्याप्त थी। उनके बीच भाषा का कोई व्यवधान न था।

एक आदमी ने शीघ्र ही ढोल बजाया और ग्राम-नर्तकों की एक टोली ने उठकर पंजाब का प्रसिद्ध भंगड़ा नृत्य प्रारम्भ किया। आगन्तुकों में से भी कुछ स्त्रियों ने प्रसिद्ध गर्बा नृत्य का प्रदर्शन किया। इसके पश्चात् पंजाबी और गुजराती के गाने होने लगे। बम्बई के कृषकों ने गाँव को २५१ रुपए दान देने का वचन दिया।

कृषकों की इस टोली को लेकर स्पेशल गाड़ी जब नीलोखेड़ी स्टेशन से चली तो बम्बई और पंजाब में नए मैत्री सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे और दोनों टोलियों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लिया था।

१५३ नए विस्तार सेवा खण्ड

सामुदायिक योजना प्रशासन ने विभिन्न राज्यों के लिए १५३ नए राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड मंजूर किए हैं, जिन पर १ अप्रैल से काम आरम्भ हो जाएगा।

आन्ध्र को २०, असम को ४, बिहार को २२, मध्यप्रदेश को ६, मद्रास को ४, उड़ीसा को १४, पंजाब को १२, पश्चिमी बंगाल को १६, हैदराबाद को १६, मध्यभारत को ५, मैसूर को ५, राजस्थान को १०, सौराष्ट्र को २, त्रावणकोर कोचीन को ५, अजमेर को १, दिल्ली को १, हिमाचल प्रदेश को २, मणिपुर को १, त्रिपुरा को १, और विन्ध्य प्रदेश को तीन विस्तार सेवा खण्ड दिए गए हैं। बम्बई और उत्तर प्रदेश का हिस्सा बाद में घोषित किया जाएगा।

राज्यों से कहा गया है कि इन खण्डों को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित व्यक्तियों का प्रबन्ध करें।

एक नई प्रकार की मेंड जो फ़सल को गर्मी से बचाती है

भारत की एकता का निर्माण

(सरदार वल्लभ भाई पटेल)

भारत की एकता के निर्माता सरदार पटेल के २७ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाषणों का यह संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है।

१५ अगस्त १९४७ को जब भारत स्वाधीन हुआ, तब भारत में ९ प्रान्तों के अतिरिक्त ५८४ रियासतें थीं। इन ५८४ रियासतों में केवल हैदराबाद, काश्मीर और मैसूर यही ३ रियासतें ऐसी थीं, जो आकार और आबादी के लिहाज से पृथक् राज्यों का रूप धारण कर सकती थीं। अधिकांश रियासतें बहुत छोटी थीं और २०२ रियासत तो ऐसी थीं, जिनका क्षेत्रफल १० वर्गमील से अधिक नहीं था। उस पर भी ये सब की सब रियासतें शासन की पृथक् इकाइयाँ बनी हुई थीं।

भारत के प्रथम उपप्रधान मन्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दो वर्षों के भीतर ही सम्पूर्ण भारत को एक बना दिया। उक्त ५८४ रियासतों का ५,८८,००० वर्ग मील क्षेत्रफल और १० करोड़ के लगभग आबादी इस अल्प-काल ही में भारत के आन्तरिक भाग बन गए। उसी तरह, जिस तरह भारत के अन्य राज्य हैं। हैदराबाद, मैसूर और काश्मीर को पृथक्-पृथक् और अन्य कितनी ही रियासतों के संघ बनाकर उन्हें 'बी' श्रेणी के राज्य बना दिया गया। सैकड़ों छोटी-छोटी रियासतें आसपास के बड़े राज्यों में मिला दी गईं। परिणाम यह हुआ कि भारत भर में पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापित हो गया और सन् १९५२ का निर्वाचन समूचे देश में बालिग़ मताधिकार के आधार पर सम्पन्न हुआ।

इस नवीन भारत की एकता के निर्माण में सरदार पटेल के इन २७ भाषणों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्वाधीनता के पहले २६ वर्षों की भारतीय समस्याओं पर इन भाषणों में जो प्रकाश डाला गया है, उसका महत्त्व ऐतिहासिक है। ये भाषण देश के लिए चिरकाल तक प्रकाश स्तम्भ का काम देते रहेंगे।

इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक ग्रन्थ का मूल्य प्रचार के उद्देश्य से बहुत कम रक्खा गया है। पुस्तक में ३५० बड़े आकार के पृष्ठों के अतिरिक्त १६ पृष्ठ सरदार पटेल के सुन्दर चित्र और नवीन भारत का एक मानचित्र भी दिया गया है।

मूल्य : सजिल्द ५) रुपया

प्रकाशक :

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरियट,

दिल्ली-८

Printed by the Albion Press, Kashmere Gate Delhi-6, and published on behalf of Community Projects Administration by the Publications Division, Delhi-8.